ग्यारहवीं
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2022 - 2023

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस दूध उत्पादक कम्पनी

मूल्य (Values)

"हम सभी पायस कम्पनी के इन मूल्यों के प्रति कटिबद्ध हैं।"

1. ईमानदारी एवं पारदर्शिता
2. टीम भावना
3. गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता हर स्तर पर
4. दीर्घकालीन दृष्टि
5. नवविचार (Innovation)
6. जूनून (Passion)

ध्येय (Mission)

- पायस दूध उत्पादक कम्पनी अपने सदस्यों के दूध उत्पादन की लागत को कम करते हुए, दूध उत्पादन एवं सदस्यों के दूध व्यवसाय से अर्जित लाभ को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है।

दीर्घ दृष्टि (Vision)

- अपने ध्येय-प्रतिबद्धता के साथ, पायस दूध संस्था विश्व की दूध व्यवसाय की अग्रणी संस्थाओं में जानी जायेगी एवं अपने समस्त सदस्यों, उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों के लिए पहली पंसद होगी।

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित ग्यारहवीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/ असामंजस्यता / त्रुटि पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे)

निदेशक मंडल
(31 मार्च 2023 को स्थिति)

श्रीमती ममता चौधरी	(DIN - 08842062)	–	अध्यक्षा एवं निदेशक
श्रीमती गीता देवी गुर्जर	(DIN - 07573959)	–	निदेशक
श्रीमती सुनीता शर्मा	(DIN - 09286071)	–	निदेशक
श्रीमती चन्दा यादव	(DIN - 09684561)	–	निदेशक
श्री सेडमल शर्मा	(DIN - 07255050)	–	निदेशक
श्री नारायण लाल गुर्जर	(DIN - 08075740)	–	निदेशक
श्री लादू लाल	(DIN - 08856442)	–	निदेशक
श्री भागचन्द	(DIN - 09286255)	–	निदेशक
श्री विजय सिंह मीणा	(DIN - 09286327)	–	निदेशक
श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया	(DIN - 09684777)	–	निदेशक
श्री हनुमान चौधरी	(DIN - 09684895)	–	निदेशक
श्री सौगत मित्रा	(DIN - 00541858)	–	विशेषज्ञ निदेशक
प्रो. माधवी मेहता	(DIN - 07055527)	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री रतन कुमार सिंह	(DIN - 00142430)	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव
श्री अनूप गुप्ता

उप महाप्रबन्धक (वित्त)
श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक
प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
नई दिल्ली

आतंरिक अंकेक्षक
अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुरूग्राम, हरियाणा

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर
एच.डी.एफ.सी बैंक, जयपुर
आई.सी.आई.सी.आई बैंक, जयपुर
ऐक्सिस बैंक, जयपुर

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट
बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा.लि.
बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल,
99, मदनगीर, नई दिल्ली–110062

रजिस्टर्ड कार्यालय
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
दूरभाष नं. : +91-141-2352736
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों की रिपोर्ट	1–16
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं अनुलग्नक	17–27
3.	अंकेक्षित वार्षिक लेखा विवरण:	
	(अ) 31 मार्च, 2023 को आर्थिक चिट्ठा	28
	(ब) 31 मार्च, 2023 के लिये लाभ–हानि खाता	29
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	30
4.	नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है	31–55
5.	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र एवं अनुलग्नक	56–67
6.	उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)	68
7.	प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form)	69–70

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की 12वीं वार्षिक आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्पनी ने कुल रू. 1419.95 करोड़ का कारोबार किया और कुल लागत (व्यय सहित) रू. 1423.64 करोड़ रही। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर रू. 7 प्रति समता अंश की दर से सीमित लाभांश (डिविडेंड) देने की अनुशंसा की है।

कम्पनी ने वर्ष 2022-2023 में 23.02 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया है। कम्पनी ''पायस'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध, घी, गाय का घी, दही और छाछ, पनीर इत्यादि उत्पादों का विक्रय किया है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड नाम से मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से उचित सेवायें भी दे रही है तथा दुग्ध उत्पादों को उन्नत किस्म का चारा-बीज भी उपलब्ध करवा रही है।

कम्पनी ने मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। अभी तक कम्पनी ने कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म स्थापित कराये है।

पारदर्शिता की दिशा में एक कदम ओर आगे बढाते हुये एवं सभी सदस्यों को समय पर जानकारी देने के लिये कम्पनी ने पायस सदस्य मित्र ऐप की सुविधा दी है। यह ऐप सदस्यों को उनके आपूर्तित दूध के दिन, दूध की मात्रा, दूध में फैट और एस.एन.एफ. का प्रतिशत और कम्पनी द्वारा उनके बैंक खाते में भुगतान की गई राशि जैसे विवरण उनके मोबाईल पर एक क्लिक पर तुरन्त प्रदान करता है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,
ह./-
(रतन कुमार सिंह)
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के व्यवसाय और संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते ग्यारहवीं वार्षिक प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA (वर्तमान में कम्पनी अधिनियम 2013 का अध्याय XXIA) के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया है।

वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:–

(रू. करोड़ में)

विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कुल आय	1419.95	1181.97
कुल लागत (व्यय सहित)	1423.64	1171.80
कर के पूर्व लाभ/ (हानि)	(3.69)	10.17
कर हेतु प्रावधान	(0.24)	2.70
कर के पश्चात् लाभ/ (हानि)	(3.45)	7.47
सामान्य संचय में हस्तांतरण	0	4.96

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की व्यवसाय से कुल आय रू. 1419.95 करोड़ रही, जिसमें पिछले वर्ष की कुल आय रू. 1181.97 करोड़ की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल लागत (व्यय सहित) रू. 1171.80 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान कुल लागत (व्यय सहित) रू. 1423.64 करोड़ रहे है।

कम्पनी को पिछले वर्ष के कर के पश्चात लाभ रू. 7.47 करोड़ की तुलना में समीक्षा वर्ष में कर के पश्चात हानि रू. 3.45 करोड़ रही है।

सीमित लाभांश (Dividend)

निदेशक मंडल को रू. 7/– प्रति समता अंश की दर से कुल रू. 2.64/– करोड़ सीमित लाभांश (डिविडेंड) राशि देने की अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान आगामी 12वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात्, उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

सामान्य संचय में हस्तांतरण (Transfer to General Reserve)

हानि के कारण, कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य संचय में कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की है।

कार्य संचालन (Operations)

कम्पनी 3328 गाँवों में स्थित 3678 दुग्ध संकलन केन्द्रों से दुग्ध संकलन कर रही है। कम्पनी का वित्तीय वर्ष 2021–22 में दुग्ध संकलन 23.10 करोड़ लीटर की तुलना में समीक्षा वर्ष के दौरान 23.02 करोड़ लीटर दुग्ध का संकलन किया। इसमें 4.14 करोड़

लीटर गाय का दूध अलग से थोक बिक्री के लिए संकलन किया गया। कम्पनी लगातार अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी उत्पादक मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी विभिन्न प्रकार में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 189 लाख लीटर व 911 मैट्रिक टन की तुलना में, समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी के पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमश: 234 लाख लीटर व 823 मैट्रिक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की ब्रिकी आगे बढेगी इसलिए कम्पनी अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है।

पुरस्कार और मान्यता (Award and Recognition)

श्रीमती रेखा देवी शर्मा, पायस की महिला सदस्य गाँव बरना, जयपुर को 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन (डीआईसी) के दौरान प्रतिष्ठित डेयरी वुमन ऑफ द ईयर अवॉर्ड (उत्तरी क्षेत्र) प्राप्त किया। उक्त अवॉर्ड, उन्हें श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री–गुजरात, अध्यक्ष–आईडीए, अध्यक्ष–एनडीडीबी और कई अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

उत्पाद श्रेणी (Product Portfolio)

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

कम्पनी उपभोक्ताओं को गुणवत्ता दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद प्रदान करने हेतु सेवारत है। कम्पनी जयपुर एवं राजस्थान के अन्य भागों में पॉली पैक दुग्ध का विभिन्न श्रेणियों में व्यापार कर रही हैं:

वर्ग	विभिन्न श्रेणियां
डबल टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 1L, 6L
टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 1L, 6L
फुल क्रिम मिल्क	500ml, 1L, 6L
होमोजनाइज्ड टोन्ड मिल्क	200ml, 500ml, 6L

कम्पनी मदर डेयरी एवं अन्य इच्छुक खरीदारों को थोक में मिक्स मिल्क, गाय का दूध और स्किम मिल्क का विक्रय करती है।

दही

पायस ''दही'' का 85 ग्राम और 180 ग्राम कप में, 180 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो पॉलीपैक में एवं 5 किलो और 15 किलो प्लास्टिक के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

छाछ

पायस छाछ का 500 ml के पैक और मसाला छाछ का 250 ml के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

घी

पायस घी आधा लीटर (सिक्का पैक), 1 लीटर (सिक्का पैक), 2 लीटर टिन, 5 लीटर टिन एवं 15 किलोग्राम के टिन और 1 लीटर गाय का घी (सिक्का पैक) एवं 1 लीटर गाय का प्रीमियम घी कांच की बोतल में ग्रामीण एवं शहरी विपणन प्रणाली के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

पनीर

पायस पनीर 200 ग्राम के पैक में ग्रामीण एवं शहर के बाजार में विक्रय किया जा रहा है।

उत्पाद विकास (Product Development)

मार्केट की उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया से, कम्पनी अपने दुग्ध उत्पादों को बढानें की प्रक्रिया में है।

पशु आहार (Cattle Feed)

वर्ष 2022-2023 के दौरान, कम्पनी ने अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड जिसमें दो प्रकार के पशु आहार-मुद्रिका साधारण एवं मुद्रिका गोल्ड (BIS Type-II) है, का 39146 मैट्रिक टन का विक्रय किया। पिछले वर्ष की तुलना में इस बिक्री में लगभग 4.2 प्रतिशत की वृद्धि रही।

राजस्थान विशिष्ट मिनरल मिक्सचर और राशन बैलेंसर

(Rajasthan Specific Mineral Mixture and Ration Balancer)

राजस्थान की मिट्टी में खास खनिजों की उपलब्धता की कमी को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने राजस्थान के लिए विशिष्ट मिनरल मिक्सचर का विकास करने के लिए कम्पनी ने सुनियोजित किया है और इसे कम्पनी अपने ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से प्रतिस्पर्धी दरों पर उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवर्धक रही है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने 57 मैट्रिक टन मिनरल मिक्सचर और 24 मैट्रिक टन राशन बैलेंसर वितरित किया है।

चारा विकास (Fodder Development)

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोगिता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने हेतु चारा संरक्षण को प्रोत्साहन करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। चारा विकास के अन्तर्गत, साईलेज प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति जैसी गतिविधियां की जा रही है।

कम्पनी लगातार दूध उत्पादकों को सस्ती दरों पर गुणवतायुक्त चारा बीज जिसमें रिजका, जई, ज्वार और बाजरा के बीजों आदि का वितरण कर रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान कुल 643 क्विंटल चारा बीज का वितरण किया गया।

मॉडल डेयरी फार्म (Model Dairy Farm)

मॉडल डेयरी फार्म विकसित करने के लिए कम्पनी अपने सदस्यों को सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान में, पायस के राजस्थान के पाँच जिलों (जयपुर, सीकर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा) में कुल 15 मॉडल डेयरी फार्म कार्यान्वित है।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आर बी पी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं प्रदान की है। आर.बी.पी. ने पारंपरिक खाद्य प्रथाओं को बदलने में सहायता की है।

कार्यक्षेत्र विवरण

क्र. सं.	विवरण	संख्या
1	गाँवों की संख्या	46
2	किसानों की संख्या	262
3	जानवरों की संख्या	521

कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (**Artificial Insemination Program**)

नेशनल डेयरी प्लान के अंतर्गत, कम्पनी ने प्रशिक्षित मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

पायस कम्पनी ने अपने स्वयं के संसाधनों से किसानों के घर तक कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने का कार्यक्रम चला रही है। प्रजनन सेवा की कुशल निगरानी एवं उक्त क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की सुविधा हेतु मोबाईल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAIT) परिचालन क्षेत्र में कार्य कर रहे है।

कृत्रिम गर्भाधान के अतिरिक्त कम्पनी ने इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में BFIL के सहयोग से पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्राथमिक मॉडल प्रारम्भ किया है।

कम्पनी ने समीक्षा वर्ष के दौरान 350 MAIT के माध्यम से लगभग 3,37,956 कृत्रिम गर्भाधान किये है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

संस्था विकास पायस का आधार है जिसका मुख्य कार्य सदस्यों को जागरूक करना, सदस्यों को उनके कर्तव्यों के प्रति शिक्षित और संवेदनशील बनाना तथा कम्पनी की विभिन्न गतिविधियों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। इसको प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

पिछले कुछ वर्षो में महामारी के कारण, फील्ड गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे, जिससे फील्ड की गतिविधियाँ सीमित हो गई थी। महामारी के बाद, सामान्य स्थिति बहाल हो गई। पायस के कोर डिजाईन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुये सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। ''संवाद'' जो पायस का एक प्रमुख कार्यक्रम है, सभी परिचालन क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया, जहां 35% महिलाओं के साथ 17,606 सदस्यों को शिक्षित किया गया।

एक विशाल कार्य क्षेत्र एवं सदस्यों के आधार वाली एकल स्तरीय कम्पनी होने के कारण, यह आवश्यक है कि दोतरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित करने के लिए और कम्पनी व इसके सदस्यों के बीच संबंध और जुडाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अनौपचारिक समूहों का निर्माण किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ग्राम स्तर पर 2918 अनौपचारिक विलेज कॉन्टेक्ट ग्रुप्स (वीसीजी) बनाए गए, जिसमें 10453 सदस्य थे और 228 मिल्क रूट पर अनौपचारिक मेम्बर रिलेशन ग्रुप्स (एमआरजी) बनाये गये, जिसमें 2918 सदस्य शामिल थे।

नये प्रोड्यूसर निदेशकों की नियुक्ति और संक्षिप्त परिचय करने की दृष्टि से, उनके लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (Orientation Programme) आयोजित किया गया। निदेशक मण्डल कार्यप्रणाली को ओर बेहतर तरीके से समझने के लिए माही मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी, राजकोट में एक्सपोजर विजिट किया गया। निदेशक मण्डल ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड डेयरी समिट, नोएडा और इंडियन डेरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 49वीं डेयरी उद्योग सम्मेलन, गांधीनगर, गुजरात में भाग लिया।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

गुणवत्ता हमेशा से ही ध्यानाकर्षण का क्षेत्र रहा है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र आवश्यक दुग्ध जांच उपकरणों से सुसज्जित है। दुग्ध जांच उपकरण जैसे डिजीटल इलेक्ट्रोनिक बैलेंस, वाटर बाथ, वोरटेक्स शेकर्स, आटोक्लेव, आर.एम. जाँच उपकरण, बी. आर मीटर, रेमी सेन्ट्रफ्यूज मशीन, सोडियम जाँच मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि केन्द्रों पर कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता जांचने के लिए उपलब्ध है। गाय के दूध को प्राप्त करने, अवशीतन और भंडारण करने और प्रेषण करने के लिए अवशीतन केन्द्रो पर अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे इच्छुक खरीदारों को अच्छी गुणवता के गाय के दुग्ध की आपूर्ति की जा सके। पद्धति उन्नतीकरण जैसे अधिक दुग्ध आने वाले शीतलन केंद्रों पर अतिरिक्त डॉक और संग्रह की सुविधा, प्रयोगशाला का विस्तार, दुग्ध की ताजगी को सुरक्षित करने के लिए रेफ्रीजरेशन क्षमता में वृद्धि, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त आदर्श दुग्ध शीतलन केंद्र की स्थापना जैसे – ऑटो सीआईपी, ऑटो कन्वेयर आदि को आरम्भ किया गया।

केमिस्ट तथा एमसीसी इन्चार्ज के कौशल सुधार हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology)

सम्पूर्ण संचालन तकनीक पर आधारित है। SAP ERP(उद्योग संसाधन योजना) सम्पूर्ण व्यवसाय में प्रारम्भ से अंत तक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।

कम्पनी ने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट और प्रबंधित सेवाएं को आयोजित करने के लिए एक मजबूत डेटा सेंटर सॉल्यूशन भी स्थापित किया है।

इसके साथ ही, कम्पनी ने निम्नलिखित तकनीकी आधारित सहभागिता (Interventions) की।

- पायस सदस्य मित्र मोबाईल ऐप– यह ऐप सदस्यों के लिए किसी भी समय अपने संरक्षता आंकडों तक पहुंचने के लिए पादर्शिता और पासबुक सुविधा को सक्षम बनाता है।
- सामान्य पैकेट रेडियो सेवा (GPRS)– यह वास्तविक समय में एम.पी.पी. से सेन्टर सर्वर में दूध डेटा हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए कॉल सेंटर– एक व्यवस्थित तरीके से एम.पी.पी. स्तर पर उपकरण की खराबी के निवारण के लिए फील्ड इंजीनियरिंग सेवाओं के सहयोग के लिए एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई।
- सदस्यों/सहायकों को तुरन्त SMS/मोबाईल अधिसूचना।
- सदस्यों की शिकायतें/आपत्तियाँ दर्ज करवाने के लिए टोल फ्री नंबर।
- बाजार मांग उत्पादन के लिए टेली बुकिंग सॉफ्टवेयर।
- कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के लिए ईनाफ सॉफ्टवेयर।
- मोबाईल टैबलेट के साथ फील्ड कर्मचारियों को भी सक्षम बनाया गया है ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को अधिक प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन (Change in nature of Business)

समीक्षा वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नही हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (Material Changes and Commitments)

कम्पनी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नही है, जोकि वित्तीय वर्ष के समापन पर, जिससे कम्पनी के वित्तीय विवरण से संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते है।

अंश पूंजी संरचना/सदस्यता

कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिकृत अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नही किया है, दिनांक 31 मार्च, 2023 को कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी रू. 50 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के प्रारम्भ में कम्पनी की अभिदत्त और प्रदत्त अंश पूंजी रु 35,79,94,400/– है, जिसमें 3579944 अंश सम्मिलित है। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने सदस्यों के 339419 समता अंशों को निरस्त किये है और 528679 समता अंश पुन: जारी किये गये है। 31 मार्च, 2023 तक, कम्पनी की कुल प्रदत्त अंश पूंजी रू. 37,69,20,400/– है, जिसमें 3769204 अंश सम्मिलित है एवं 526121 निरस्त अंश हैं जिनका कुल मूल्य रू. 5,26,12,100/– है, जिन्हें कम्पनी द्वारा पुन: जारी किये जायेगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, कम्पनी ने कोई समता अंश या वरीयता अंश या ऐसी कोई प्रतिभूतियां जारी नहीं की है जिनके पास ऐसी प्रतिभूतियों को अंशो में बदलने का अधिकार या विकल्प है।

31 मार्च, 2023 को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर के अनुसार 95317 सदस्य हैं। समीक्षा वर्ष के दौरान 11715 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मापदण्ड पूरे नही करने के कारण निरस्त/समर्पण कर दी गई हैं।

31 मार्च, 2023 के पश्चात् कम्पनी ने कुल 1849 नये सदस्यों को सदस्यता प्रदान की है एवं 2 सदस्यों ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है तथा 1003 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मापदण्ड पूरे नहीं करने के कारण एवं अन्य कारणों से निरस्त/समर्पण कर दी गई है। इसलिए इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 96161 है।

सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदस्यता को बनाए रखने के लिए अपनी श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी से सम्बन्धित संरक्षता मापदण्डों को सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में पूरा करते रहें, जिससे आपकी सदस्यता सूचारू रूप से बनी रहें।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में दर्शाये गये 95317 सदस्यों में से 27433 सदस्यों को आम सभा के सूचना पत्र में वर्णित सभी प्रस्तावों पर वोट करने का अधिकार है और 7424 सदस्य, जिन्होंने वोट करने का अधिकार के लिए आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात जिन्होंने गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की है) लेकिन उन्होनें अपने श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तो को पूरा नही किया है। जिसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन पर वोट नही कर सकते है। इसके अतिरिक्त 59457 सदस्य, जिन्होंने वोट करने के लिए उपरोक्त आधारभूत शर्तो को पूरा नही किया है, इसलिए उन्हें आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार नही है। शेष, 1003 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2023 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नही है।

1849 नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2023 के बाद कम्पनी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया हैं और उनमें से 2 सदस्यों ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है, वे वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लाभांश एवं 12वीं वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि हस्तांतरित (Transfer to Investor Education and Protection Fund)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 के प्रावधानों के अनुसार, IEPF प्राधिकरण (लेखा, अंकेक्षक, हस्तांतरित और धनवापसी) नियम, 2006 (''IEPF नियम'') के साथ पढें जाने के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए रू. 18,32,200/- की राशि का सीमित लाभांश जो अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तांतरण की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रहा है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में हस्तांतरित कर दिया है।

आगे, वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए निरस्त अंश राशि/अतिरिक्त अंश आवेदन राशि जो सदस्यता मापदंड़ को पूरा नहीं करती है, की राशि रू. 29,83,012/- जो रिफंड करने के लिए देय है लेकिन रिफंड के लिए देय राशि की दिनांक से सात वर्ष की अवधि के लिए अदावाकृत और असंदत्त (Unclaimed and Unpaid) रही है, को कम्पनी ने केन्द्र सरकार के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में राशि हस्तांतरित कर दिया है।

कम्पनी के पास कोई अंतर्निहित अंश (Underlying Shares) नही है जिसे उपरोक्त उल्लेखित के अनुसार (IEPF) में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

अदावाकृत और अनपेड डिविडेंड और अंश आवेदन राशि/निरस्त किए गए अंशों की बकाया राशि की सूची कम्पनी की वेबसाइट पर https://www.paayasmilk.com/unclaimed-amount.php उपलब्ध है। अंशधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सूचियों देख सकते हैं और यदि उक्त सूचियों में कोई भी उपरोक्त राशि शेष रही है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए कम्पनी से सम्पर्क कर सकते है।

बोर्ड की बैठक (Board Meetings)

समीक्षा वर्ष के दौरान, छ: बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक का विवरण नीचे प्रदर्शित है।

बोर्ड बैठक की क्र. सं.	बोर्ड बैठक की दिनांक	बोर्ड के कुल सदस्य	उपस्थित निदेशकों की संख्या
58th	25.05.2022	14	14
59th	25.07.2022	15	15
60th	27.09.2022	15	13
61st	25.11.2022	15	14
62nd	25.01.2023	15	15
63rd	29.03.2023	14	14

हितधारकों से संबंधित समिति (Stakeholders' Relationship Committee)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) की आवश्कता के अनुसार, कम्पनी के अंशधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंधित समिति का गठन किया गया था। हितधारक संबंधित समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:

a) श्रीमती ममता चौधरी, अध्यक्षा
b) श्री नारायण लाल गुर्जर, सदस्य
c) श्री रतन कुमार सिंह, सदस्य

दिनांक 27 सितम्बर, 2022 को समिति का पुनर्गठन किया गया। समिति की दो बार बैठक आयोजित हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

हितधारक संबंध समिति की बैठक संख्या	समिति की बैठक की दिनांक	सदस्यों की कुल संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
2nd	25.12.2022	3	3
3rd	29.03.2023	3	3

निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति (Company's Policy Relating to Directors Appointment, Payment of Remuneration and Discharge their duties)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) के प्रावधान जोकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित है, कम्पनी पर लागू नही होते है।

निदेशक (Directors)

श्रीमती ममता चौधरी, श्री जय सिंह राठौड़ और श्री सुशील कुमार वैष्णव कम्पनी के निदेशक पद से 19 सितम्बर, 2022 को सेवानिवृत हुये। बोर्ड उनको निदेशक के रूप में कम्पनी को दिये गये सहयोग हेतू धन्यवाद देता हैं।

कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 एवं कम्पनी अंतर्नियमों के संबंधित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और कम्पनी अधिनियम के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार, श्रीमती चन्दा यादव, श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया और श्री हनुमान चौधरी को 19 सितम्बर, 2022 से कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

प्रो. माधवी मेहता को कम्पनी में विशेषज्ञ निदेशक के रूप में दिनांक 25 मई, 2022 से 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री श्रीराम सिंह ने विशेषज्ञ निदेशक के पद से दिनांक 31 जनवरी, 2023 को त्याग पत्र दे दिया है।

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गो में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षता के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी-ए, श्रेणी-बी तथा श्रेणी-सी में संरक्षता के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की सातवीं वार्षिक आम-सभा में अनुमोदित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में सदस्यों द्वारा संरक्षता के मापदण्ड पूरे करने के आंकडों के विश्लेषण के आधार पर यह ज्ञात होता है कि श्रेणी-ए, श्रेणी-बी और श्रेणी-सी का संरक्षता योगदान क्रमश: 42%, 29% और 29% थे। तदानुसार, बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो को संरक्षता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी-ए में 5 निदेशक, श्रेणी-बी में 3 निदेशक तथा श्रेणी-सी में 3 निदेशक होती हैं। कम्पनी, अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित रूप से करेगा :-

श्रेणी-ए के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 निदेशक है, इसलिए 12वीं वार्षिक आम सभा में निदेशकों की श्रेणी-ए में कोई सेवानिवृति/चुनाव नहीं है।

श्रेणी-बी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री लादू लाल, कम्पनी के निदेशक, ''श्रेणी-बी'' के प्रतिनिधि जो आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते है। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने उनकी पुन:नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 12वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

श्रेणी-सी के निदेशक

वर्तमान में कम्पनी के बोर्ड में श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्री सेडमल शर्मा, कम्पनी के निदेशक, अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने पर कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्री सेडमल शर्मा के स्थान पर श्री मुकेश कुमार गढ़वाल जो ''श्रेणी-सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, श्रीमती गीता देवी गुर्जर, कम्पनी की निदेशक कम्पनी की आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगी। नामांकन समिति की अनुशंसा के आधार पर, बोर्ड ने श्रीमती गीता देवी गुर्जर के स्थान पर श्रीमती अनीता चौधरी जो ''श्रेणी-सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

निदेशकों की नियुक्ति हेतु नाम एवं योग्यताओं का विवरण कम्पनी की 12वीं वार्षिक आम सभा के सूचना पत्र के साथ सलग्नक हैं।

निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि:-

a) वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखाकंन मानकों का सामग्री प्रारंभिक से संबंधित उचित व्याख्या अनुपालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसी लेखांकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए है जो कि इतने तर्कसंगत और उपर्युक्त है कि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

e) निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह प्रणाली उचित और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (Internal Financial Control)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान, इस तरह के नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और संरचना या संचालन में कोई रिपोर्ट करने योग्य महत्वपूर्ण कमी नही पाई गई।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZF की अनुपालना में मैसर्स अरनेस्ट एवं यंग एल.एल.पी. चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् को कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक पुन: नियुक्त किया है जोकि स्वंतत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा एवं कम्पनी के खातों का अंकेक्षण करते है।

सावधि जमा (Fixed Deposits)

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कोई जमायें स्वीकार नहीं की है।

ऋण, दी गई गारंटी और निवेश का विवरण (Particulars of Loans, Guarantees given and Investments)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कम्पनी ने कोई ऋण की अनुमति या कोई गारंटी या प्रतिभूति नही दी है और ना ही कोई निवेश किया है।

संबंधित पक्ष के साथ अनुबंध अथवा लेनदेन का विवरण (Particulars of Contracts, Arrangements with related parties)

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएं/लेनदेन अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में आर्म लेन्थ बेसिस (Arm's length basis) और व्यवसाय के सामान्य श्रृंखला में थे। कम्पनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नही किया गया था, जो बडे.पैमाने पर कम्पनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कम्पनी ने संबंधित पार्टियों के साथ कोई

अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन नही किया था, जिसे भौतिक माना जा सकता है या जिसे अधिनियम की धारा 188 और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) को धारा 134(3) (h) के साथ पढे जाने के संदर्भ में फॉर्म AOC–2 में रिपोर्ट करना आवश्यक है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 को कम्पनीज (CSR) संसोधन नियम 2021 के साथ पढें जाने के अनुसार, कम्पनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) लिया है और सीएसआर नीति को अपनाया है, जो कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/csr-policy पर उपलब्ध है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी की सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट के अनुसार कम्पनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund) रू. 17.65 लाख का सीएसआर योगदान दिया है। कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–1 में प्रदान की गई है।

जोखिम प्रबंधन (Risk Management)

कम्पनी के पास उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है। कम्पनी ने प्रमुख व्यावसायिक जोखिमों की पहचान कर समीक्षा की और समय–समय पर ऐसे जोखिमों को कम करने में हुई प्रगति की निगरानी करती है। कम्पनी ने सभी मुख्य परिचालन के लिए मानक संचालन कार्यो की समीक्षा की और इसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

कम्पनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर जोखिम प्रबंधन (Risk Management) नीति कार्यान्वित की है।

सचेतक तंत्र (Vigil Mechanism)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 177(9) के अंतर्गत कम्पनी ने सचेतक तंत्र के लिए नीति अपनाई है, जिसमें कोई भी मुद्दा जो कम्पनी की संहिता के उल्लंघन या उसके विरूद्ध हो, को प्रबंधन जी जानकारी में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों को उचित अवसर प्रदान करता है। कर्मचारियों को Whistle Blowing के माध्यम से अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सचेतक तंत्र (Whistle Blower Policy) कम्पनी की वेबसाइट https://www.paayasmilk.com/vigil-mech-policy पर उपलब्ध है।

अंकेक्षक (Auditors)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA (4)(e) के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स प्राइस वाटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी (ICAI फर्म पंजीकरण संख्या 012754 N / N 500016) वैधानिक अंकेक्षकों आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत होंगे और योग्यताओं को पूरा करते हुए स्वयं को पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है। कम्पनी को अंकेक्षक से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है अगर उनकी पुन:नियुक्ति की जाती है, तो वह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

कम्पनी को अंकेक्षकों से इस पर पुष्टिकरण प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुन:नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा में होगी और वे पुन:नियुक्ति के लिए अयोग्य नही है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, वैधानिक अंकेक्षकों ने धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

लागत अभिलेख (Cost Record)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित लागत अभिलेखों का रखरखाव और लागत लेखा परीक्षा की आवश्यकता कम्पनी द्वारा की जाने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर लागू नही होती है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर बोर्ड की समीक्षा (Boards' comment on the Auditors' Report)

अंकेक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्व–व्याख्यात्मक है और उन पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नही है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई अयोग्यता, रोक या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नही है।

वार्षिक रिटर्न (Annual Return)

दिनांक 31 मार्च, 2023 को कम्पनी का वार्षिक रिटर्न कम्पनी की वेबसाइट http://www.paayasmilk.com/annual-general-meeting.php पर देखा जा सकता है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रकटीकरण

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये उपनियमों की अनुपालना में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष पर नीति बनाकर कार्यान्वित कर दी गई है। वर्ष के दौरान, कम्पनी को लैंगिग उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है।

ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी

(Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) को कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढे जाने के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में:

(i) ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में भाग ए तथा बी के नियम कम्पनी पर लागू नही होते है।

(ii) विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

अन्य प्रकटीकरण

a) कोई भी कम्पनी ना तो पायस कम्पनी की सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी है अथवा समाप्त हुई है।

b) विनियामकों, न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण आदेश पारित नही हुआ है जोकि कम्पनी के संचालन एवं भविष्य की परिचालन स्थिति को प्रभावित करता है।

c) कम्पनी के विरूद्ध दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ/लंबित नहीं है जोकि कम्पनी के व्यवसाय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

d) एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किया गया मूल्यांकन, उसके कारणों सहित कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल
ह./-
ममता चौधरी
अध्यक्षा एवं निदेशक
डी.आई.एन.-08842062

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10 अगस्त, 2023

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 को कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के समक्ष पढ़े जाने अनुसार

1. कम्पनी की सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप–रेखा:

कम्पनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के साथ पढें जाने के अनुसार विस्तृत गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है:

a) स्वास्थ्य

b) शिक्षा

c) स्वच्छता सुविधाएं

d) पर्यावरण स्थिरता

e) जाति समानता को बढ़ावा देना

f) व्यावसायिक कौशल में सुधार

g) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की सुरक्षा करना

h) सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय

i) पीएम राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य फंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान

j) इन्क्यूबेटरों या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान

k) प्राकृतिक आपदा के समय गतिविधियों को पूरा करना या आपदा प्रबंधन प्रणाली में व्यस्त रखना

2. सीएसआर समिति की संरचना: लागू नही है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यो का निर्वहन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार लागू नहीं है।				

3. वह वेब लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

https://www.paayasmilk.com/csr-policy

4. **नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें, यदि लागू हो** –लागू नही है

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ: रू. 8,82,45,957/–

(ख) धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: रू. 17,64,920/–

(ग) पिछले वित्तीय वर्षो का सीएसआर परियोजना या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष– Nil

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए तय की जाने वाले राशि, यदि कोई हो– Nil

(ण) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देनदारी (7ख+7ग–7घ) : रू. 17,64,920/–

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजनाओं एवं जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) पर व्ययित राशि : रू. 17,64,920/–

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के विरूद्ध खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रू. में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति–सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
Nil												

वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	इस अधिनियम की अनुसूची–VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नही)	परियोजना की अवस्थिति		वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रू. में)	कार्यान्वयन की रीति– सीधे (हां/नही)	कार्यान्वयन की रीति–कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या
1.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	अनुसूची VII (Viii) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	पैन इंडिया	पैन इंडिया	पैन इंडिया	रू. 17,64,920/–	हाँ	लागू नही	लागू नही
	योग					रू. 17,64,920/–			

(ख) प्रशासनिक ऊपरी व्यय में खर्च की गई राशि: NIL

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नही

(घ) वित्तीय वर्ष (क+ख+ग) के लिए खर्च की गई कुल राशि: रू. 17,64,920/-

(ण) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि	खर्च न की गई (रूपये में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खातें में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
रू. 17,64,920/-	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(च) सेट ऑफ, यदि कोई हो, के लिए अधिक राशि

क्र. सं.	विशिष्टी	राशि (रू. में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत	रू. 17,64,920/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि	रू. 17,64,920/-
(iii)	वित्तीय वर्ष [(ii)-(i)] के लिए खर्च की जाने वाली अधिक राशि	Nil
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्ष, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजना या कार्यक्रम या क्रियाकलाप से उद्भूत अधिशेष	Nil
(v)	सेट ऑफ [(iii)-(iv)] के लिए उपलब्ध राशि	Nil

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रू. में)	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रू. में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रू. में)	धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्तीय वर्षो में खर्च की जाने वाली शेष राशि (रू. में)	कमी यदि कोई हो
					राशि (रू. में)	अंतरण की तारीख		
लागू नहीं								

8. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर व्यय के माध्यम से इस प्रकार सृजित अथवा अधिगृहित परिसंपत्ति से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें। : लागू नही है

यदि हाँ, तो निमित/अधिग्रहति पूँजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करेंः लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी सम्पत्ति से सम्बन्धित विवरण प्रस्तुत करेंः

क्र. सं.	सम्पत्ति या सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण (सम्पत्ति का पूरा पता और स्थान सहित	सम्पत्ति या सम्पत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर की राशि खर्च की गई	पंजीकृत स्वामी की इकाई/ प्राधिकरण/ लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
1	2	3	4	5	6		
लागू नहीं							

9. कारण (णों) को विनिर्दिष्ट करें, यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत खर्च करने में असफल हुई हो – लागू नही है

	ह./–	ह./–
	ममता चौधरी	रतन कुमार सिंह
स्थान: जयपुर	अध्यक्षा और निदेशक	मुख्य्‍ कार्यकारी और निदेशक
दिनांक: 10 अगस्त, 2023	डी.आई.एन. : 08842062	डी.आई.एन. : 00142430

स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिये वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट (Auditors' Report)

राय (Opinion)

1. हमने पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2023 को आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट), समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण और संक्षिप्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाऐं शामिल है, का अंकेक्षण किया है।

2. हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते है एवं 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति, इसके लाभों एवं समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, सत्य एवं निष्पक्ष सूचनाऐं देते है।

राय (Opinion) के लिए आधार

3. हमने ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण के मानकों (SAs) के अनुसार की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है, जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गये प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के लिए प्रासंगिक है। हमने इन आवश्यकताओं और नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य, हमारी अंकेक्षण की राय प्रकट करने के लिए आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

अन्य जानकारी

4. कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में निदेशकों की रिपोर्ट में जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नही है।

   वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को सम्मिलित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नही करते है।

   हमारी वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढना है तथा ऐसा करने में, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी भौतिक रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होती है। यदि, हमारे द्वारा किए गए विश्लेषण के आधार पर, यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अन्य सूचना में भौतिक रूप से मिथ्याकथन है तो इस उस तथ्य की जानकारी देना आवश्यक है।

   इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने हेतु कोई भी साक्ष्य नही है।

प्रबन्धन का उत्तरदायित्व और वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन का प्रभार संभालने वालों की जिम्मेदारियां

5. कम्पनी के निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित विषयों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना है जो आमतौर पर भारत में लागू अन्य लेखांकन सिद्धातों जिसमें अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानक शामिल हैं के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करते हों। इसमें कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्ताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं उपयोग, विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना एवं निर्णय लेना, से संबंधित दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही एवं उचित जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

6. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन कम्पनी को जारी रखने के लिए क्षमता का आंकलन, प्रकटीकरण, जैसाकि लागू होता है, जारी रखने के लिए संबंधित विषयों के लिए उत्तरदायी है और जारी रखने के लेखांकन के आधार का उपयोग करें, जब तक प्रबंधन कम्पनी एवं परिचालन को बंद करने का निर्णय नही ले या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नही हों। निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रकिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

7. हमारा उद्देश्य अंकेक्षण के बारें में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखेधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त है और एक अंकेक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिसमें हमारी राय सम्मिलित है जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यहां यह दावा नहीं है कि SAs के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियां जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हो सकती है, का पता लगाएगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

8. SAs के अनुसार अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है तथा सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते है। हम भी:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक मिथ्याकथन के जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना, चाहे वे धोखेधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना एवं निष्पादित करना तथा अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए आधार प्रदान कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक मिथ्याकथन का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर गलती, मिथ्याकथन या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन भी सम्मिलित हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने हेतु, अंकेक्षण के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत्, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास वित्तीय विवरणों के सम्बन्ध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखांकन अनुमानों की तर्क संगति तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और अंकेक्षण के लिये प्राप्त साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जोकि कम्पनी को जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें हमारी अंकेक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त है तो अपनी राय संशोधित करना। हमारा निष्कर्ष हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्यों पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं अथवा परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखने में रूकावट उत्पन्न कर सकता है।
- वित्तीय विवरणों का सम्पूर्ण प्रदर्शन, संरचना और सारांश, प्रकटीकरण सहित का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण मुख्य लेनदेन तथा घटनाओं को इस प्रकार दर्शाते है जो निष्पक्ष प्रस्तुति देते है।

9. हम अभिशासन से संबंधित, अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजना, समय एवं महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्ष, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी जो अंकेक्षण के दौरान पहचान की गई है, को सम्मिलित करते है।

अन्य मामलें

10. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, कम्पनी के वित्तीय विवरणों का ऑडिट अधिनियम के अंतर्गत चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अन्य फर्म द्वारा किया गया था, जिन्होंने 25 जुलाई, 2022 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय विवरणों पर एक असंशोधित राय व्यक्त की थी।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

11. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा(11) के तहत भारत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में वर्णित मुद्दों पर लागू सीमा तक विवरण ''अनुलग्नक ब'' में दिया है।

12. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हम रिपोर्ट करते है कि :-

(अ) हमने वे सभी सूचनायें एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

(ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखें है जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

(स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ-हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

(द) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप है।

(य) 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2023 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नही है।

(र) कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट ''अनुलग्नक अ'' को देखें।

(ल) कम्पनीज़ (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, जैसाकि संशोधित किया गया है, के अनुसार अंकेक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषय के सन्दर्भ में हमें प्रदान की गई सूचनाऐं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:-

i. कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में ऐसे लम्बित मुकदमे प्रकट किये है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालते हो - वित्तीय विवरणों के नोट 30 को देखें।

ii. कम्पनी पर लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दीर्घकालीन अनुबंधों पर उसके पास कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानियाँ नहीं है। 31 मार्च, 2023 तक कम्पनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध (Derivative Contracts) नहीं था।

iii. कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में हस्तांतरण करने के लिए आवश्यक राशियों को स्थानांतरित करने में कोई विलम्ब नही किया गया है।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि खातों के लिए नोट्स में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (''मध्यस्थों'') सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को या में (ऋण ली गई निधि से या अंश प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि से) कोई राशि अग्रिम या ऋण या निवेश नही किया गया है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गांरटी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix) देखें);

(ब) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसाकि खातों के लिए नोट्स में प्रकटीकरण किया गया है, कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (''फंडिंग पार्टियों'') सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से कोई निधि प्राप्त नही हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कम्पनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह पहचाने गये अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को किसी भी प्रकार से ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गांरटी, सुरक्षा या ऐसी वस्तु प्रदान करेगी (वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 36 (बी) (ix) देखें); और

(स) अंकेक्षण की प्रदर्शन की गई प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे सूचना में ऐसा कुछ भी नही आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण उपरोक्त कथन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालना में है।

vi. कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 3 (1) के प्रावधान के अनुसार, कम्पनी द्वारा उपयोग किये जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर में लेखा पुस्तकों में ऑडिट ट्रेल, संपादन लॉग और संबंधित मामलों की सुविधा प्रदान करता है, 1 अप्रैल, 2023 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से कम्पनी पर लागू होता है, कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के खंड (g) के तहत् रिपोर्टिंग वर्तमान में लागू नहीं है।

13. अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़े जाने वाली धारा 197 के प्रावधान केवल सार्वजनिक कम्पनियों पर लागू होते है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 197 (16) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

14. अधिनियम की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, इस धारा में वर्णित मुद्दों पर हमने विवरण ''अनुलग्नक स'' में दिया है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137
(UDIN: 23096137BGZJMG9900)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''अ''

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 12(f) में निर्दिष्ट)

अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च, 2023 को पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का उक्त तिथि को समाप्त वर्ष पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के साथ अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

2. कम्पनी का प्रबन्धन कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय प्रतिवेदन मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर कम्पनी में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है जोकि भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट्स संस्थान (''ICAI'') द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण हेतु दिशानिर्देश लेख (''दिशानिर्देश लेख'') में उल्लेखित है। इन दायित्वों में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की संरचना, उन्हे लागु करना तथा उन्हे बनाये रखना सम्मिलित है जोकि नियमित रूप से कुशलतापूर्वक व्यवसाय के संचालन में प्रभावी रूप से चल रहे थे जिसमें कम्पनी की नीतियों की पालना, कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटियों एवं धोखों की रोकथाम तथा पता लगाने, लेखों की पूर्णता एवं सत्यता तथा अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय सूचनायें समय पर तैयार करना शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कम्पनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में अपनी राय प्रकट करना है। हमने अपना अंकेक्षण अधिनियम की धारा 143(10) के तहत अंकेक्षण हेतु निर्धारित दिशानिर्देश एवं अंकेक्षण के मानक जो कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर जिस सीमा तक लागु होते हैं, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर लागू होते है और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किये गये के अनुसार किया है। वे मानक तथा दिशानिर्देश चाहते है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाकर उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अकेक्षण करें कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिपादित कर रख–रखाव किया गया है और इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी तरीके से परिचालित किया गया है।

4. हमारे अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उचितता एवं परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में अंकेक्षण के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी अंकेक्षकों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, जोखिम का निर्धारण करना कि कोई महत्वपूर्ण कमी तो नही है, तथा आंकलित जोखिम के आधार पर परिचालनात्मक प्रभावशीलता की आंतरिक नियंत्रण की संरचना का विश्लेषण तथा जांच आदि सम्मिलित है। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षकों के निर्णयों पर निर्भर करती है, जिनमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत कथनों की जोखिम का निर्धारण सम्मिलित है, चाहे वह धोखे या गलतियों से हो।

5. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति के लिए हमारी अंकेक्षण राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए उपयुक्त है।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आशय

6. एक कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रचना वित्तीय प्रतिवेदनों की विश्वसनीयता के संदर्भ में उचित आश्वासन प्रदान करने तथा सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए की गई है। कम्पनी के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो (1) लेखों के रखरखाव से संबन्धित है, उपयुक्त विवरण के साथ, व्यवहारों को सही एवं उचित तरीके से प्रतिबिंम्बित करती है तथा कम्पनी की संपत्तियों का निपटारा करती है (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धातों के अनुसार

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए व्यवहारों की आवश्यकतानुसार प्रविष्ठि की गई है तथा कम्पनी के आय एवं व्यय प्रबंधकों एवं निदेशकों के अधिकृत करने के अनुसार ही किये जा रहे है तथा (3) कम्पनी की सम्पत्तियों का अनाधिकृत रूप से हासिल करने, उपयोग करने, निपटारा करने के बारें में समय से पता लगाने या रोकने के लिए उचित आश्वासन प्रदान करें, जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता हो।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमायें

7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पूर्व से चली आ रही सीमाओं के कारण जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबन्धन जो नियंत्रणों पर हावी है, गलती या धोखे से महत्वपूर्ण गलत कथन हो सकते है और जिनका पता नही लगाया जा सके। भावी अवधियों के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी प्रकार के मूल्यांकन के पूर्वानुमानों इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विश्लेषण को परिस्थितियों में बदलाव या नीतियों अथवा प्रक्रिया की पालना के परिमाण को दूषित कर सकती है।

राय (Opinion)

8. हमारी राय में, कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है तथा इस प्रकार के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 को आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है तथा कम्पनी द्वारा प्रतिपादित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रणों के मानदण्डों के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउटेंट संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137
(UDIN: 23096137BGZJMG9900)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''ब''

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 11 में निर्दिष्ट)

(i) अ. (a) कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

(b) कम्पनी ने अमूर्त संपत्ति का पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड बना रखा है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा संपत्ति, प्लांट और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई है। हमारी राय में, सत्यापन का पैमाना उचित है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांचे गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 12 को देखें)। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(i) (c) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नही होते है।

द. कम्पनी ने संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों के लिए लागत मॉडल चुना है। इसलिए, इस पर हमारी टिप्पणी कि क्या पुनर्मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन पर आधारित है या परिवर्तन की मात्रा को निर्दिष्ट करने पर, यदि परिवर्तन संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के शुद्ध वहन मूल्य के कुल 10 प्रतिशत या इससे अधिक है, का सवाल नहीं होता है।

य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) (पूर्व में बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत बेनामी संपत्ति को धारण करने के लिए कम्पनी के विरूद्ध कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या लंबित नही है और इसलिए इस पर हमारी टिप्पणी का कोई सवाल नहीं है कि क्या कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों में विवरणों का उचित प्रकटीकरण किया है।

(ii) अ. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेन्ट्री का भौतिक रूप से सत्यापन किया गया और हमारी राय में सूचनाओं में ऐसे सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। लेखा पुस्तकों के साथ तुलना में इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन में प्रत्येक श्रेणी के स्टॉक की सूची के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या इससे अधिक की इन्वेन्ट्री में विसंगतियां नहीं पाई गई है और उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से संबोधित किया है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी को चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर रू. 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सुविधा स्वीकृत की गई है। कम्पनी ने ऐसे बैंकों के साथ त्रैमासिक रिटर्न या विवरण दर्ज नहीं किया है क्योंकि स्वीकृत पत्र/ऋणदाता के अनुबंध के अनुसार त्रैमासिक रिटर्न की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार, इस पर हमारी टिप्पणी करने का कोई प्रश्न नहीं है कि क्या ये रिटर्न या विवरण कम्पनी के अनऑडिटेड खाता पुस्तिका के समान है।

(iii) कम्पनी ने कोई निवेश नहीं किया है, सुरक्षित/असुरक्षित ऋण/ऋण के रूप में अग्रिम राशि नहीं दी है या स्थायी गारंटी नहीं दी है या किसी अन्य पक्षकारों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iii), (iii)(a), (iii)(b), (iii)(c), (iii)(d), (iii)(e) और (iii)(f) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत् आने वाली किसी भी पक्ष को कोई ऋण, निवेश एवं गांरटी या प्रतिभूति प्रदान नही की है इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3(iv) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(v) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों में अधिसूचित सीमा तक निर्दिष्ट, किसी भी प्रकार के जमा या ऐसी राशि जिसे जमा माना जाता है को स्वीकार नहीं किया है।

(vi) अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत भारत केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी के किसी भी उत्पाद के लिए लागत अभिलेखों के रख रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(vii) अ. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, हमारी राय में, कम्पनी माल एवं सेवाकर, भविष्य–निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय सहित निर्विवाद वैधानिक देय जैसा लागू हो, उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष जमा किया है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, उप–धारा (a) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नही है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नही कराया गया हो।

(viii) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, लेखा पुस्तकों में ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकटीकरण किया गया हो, जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) अ. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखा अंकेक्षकों प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते है कि कम्पनी को किसी भी बैंक या वितीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

स. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा जांच किये गये कम्पनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कम्पनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है।

द. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार और कम्पनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते है कि कम्पनी द्वारा अल्प समयावधि के आधार पर एकत्र की गई किसी भे निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नही किया गया है।

य. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है।

र. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान कम्पनी की कोई अनुषंगियों सहयोगियों या संयुक्त उपक्रम या सहयोगी कम्पनी नहीं है।

(x) अ. कम्पनी ने प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से किसी भी प्रकार की राशि एकत्र नही की है इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (a) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

ब. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अंशों या पूर्ण, आंशिक और वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों को कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेन्ट नहीं किया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (x) (b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xi) अ. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार और हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा या कम्पनी के साथ दोखेबाजी की जानकारी नहीं है, न ही नोटिस किया गया है या रिपोर्ट किया गया है, न ही हमे प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।

ब. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार और हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में एक रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष दर्ज करने की आवश्यकता नही है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xi) (b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

स. कम्पनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार और हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, जैसाकि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई सचेतक की शिकायते प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नही है और निधि नियम, 2014 कम्पनी पर लागू नहीं होते है, इसलिए आदेश के अनुच्छेद 3 (xii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xiii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों की अनुपालना में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन किया है। अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत लेखांकन मानक 18 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' के तहत् आवश्यक वित्तीय विवरणों में से ऐसे संबंधित पक्षकारों के लेनदेन का विवरण का प्रकटीकरण किया गया है। आगे, कम्पनी अधिनियम की धारा 177 के तहत एक ऑडिट समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, इस सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 (xiii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xiv) अ. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षक प्रणाली है।

ब. अंकेक्षण अवधि के लिए आंतरिक लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) कम्पनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुडे. व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किये हैं। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xv) के तहत् अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अनुपालन पर रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होते हैं।

(xvi) अ. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत् पंजीकृत होना अपेक्षित नही है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (a) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (b) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

स. कम्पनी एक कोर निवेश कंपनी (CIC) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित किया गया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (c) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

द. कम्पनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह (जोकि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है) के पास कोई CICs नहीं है, जो कि समूह का हिस्सा हो। हालांकि, हमने अलग से मूल्यांकन नहीं किया है कि प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी सही और पूर्ण है या नही। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (d) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xvii) कम्पनी को वित्तीय वर्ष में रू. 91.53 लाख की नकद हानि हुई है और तुरन्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नही हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xix) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार और वितीय अनुपात (वित्तीय विवरणों के लिए नोट 36 (अ) को देखे), एजिंग और वितीय आस्तियों की प्राप्ति और वितीय देनदारियों के भुगतान की संभावित तारीख के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अन्य सूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारें में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर पूर्वानुमान, हमारे ध्यान में कुछ भी नही आया है, जो हमें विश्वास देते है कि लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख को कोई तथ्यात्मक अनिश्चितता विद्यमान नहीं है, जो कम्पनी को तुलन पत्र की तारीख पर अपनी मौजूदा देयताओं को पूरा करने में सक्षम है, जैसे ही और जब कभी वे तुलनपत्र तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते है। हालांकि, हम व्यक्त करते है कि यह कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारें में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे व्यक्त करते है कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते है औ ना ही कोई आश्वासन देते है कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर देय होने वाली सभी देनदारियों, जब भी देय होगी, कम्पनी द्वारा उन्हें निर्वहन कर दी जायेगी।

(xx) आर्थिक चिट्ठे की दिनांक को कम्पनी के पास अधिनियम की धारा 135 (5) के तहत कोई भी राशि अव्ययित नहीं की गई है। इसलिए, आदेश के अनुच्छेद 3 (xx) के तहत् रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नही होती है।

(xxi) आदेश के अनुच्छेद 3 (xxi) के तहत् रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त अनुच्छेद के संबंध में कोई टिप्पणी सम्मिलित नहीं की गई है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 096137
(UDIN: 23096137BGZJMG9900)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्वतंत्र अंकेक्षण के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–''स''

(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की स्वतंत्र अंकेक्षण रिपोर्ट के पैराग्राफ 14 में निर्दिष्ट)

अ. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ो की नोट संख्या 17 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की हस्तगत रोकड एवं कोई निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

स. 31 मार्च, 2023 को संपत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

द. अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू होने वाले प्रावधान के संबंध में, कम्पनी ने वर्ष के दौरान सदस्यों को लाभ, अंशों का हस्तान्तरणिय और परिधारक अधिकारों, सामान्य एवं अन्य संचय के संबंध में लेनदेन किया है। हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, हमने उपरोक्त के संबंध में कम्पनी द्वारा किये गये लेनदेन अधिनियम के अध्याय XXIA के लागू प्रावधानों के विरूद्ध हो, ऐसा कोई लेनदेन नहीं पाया है।

य. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

र. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं अभिदान नहीं किया है।

ल. हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई अन्य विषय नहीं है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016
ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 096137
(UDIN: 23096137BGZJMG9900)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को आर्थिक चिट्ठा

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
समता एवं दायित्व			
अंशधारकों का कोष			
अंश पूंजी	3	3,769.20	3,579.94
संचित एवं अधिशेष	4	7,704.71	8,069.87
		11,473.91	**11,649.81**
आंवटन हेतू लंबित अंश आवेदन राशि	5	**66.94**	**48.20**
स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	6	**353.58**	**467.89**
गैर–चालू दायित्व			
अन्य दीर्घकालीन दायित्व	7	1,249.47	1,086.23
		1,249.47	**1,086.23**
चालू दायित्व			
अल्पकालीन ऋण	8	6,965.28	6,976.42
व्यापारिक देनदारियां	9		
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		825.39	17.50
– सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		5,598.77	4,718.09
अन्य चालू दायित्व	10	440.39	470.24
अल्पकालीन प्रावधान	11	53.08	12.39
		13,882.91	**12,194.64**
योग		**27,026.81**	**25,446.77**
संपत्तियाँ			
गैर चालू संपत्तियाँ			
संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियाँ			
– संपत्ति, प्लांट और उपकरण	12	1,012.30	1,264.40
– अमूर्त संपत्तियाँ	12	–	–
स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	13	53.42	37.23
दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	391.55	178.72
अन्य गैर चालू संपत्तियाँ	15	2,636.59	2,150.42
		4,093.86	**3,630.77**
चालू संपत्तियाँ			
स्टॉक	16	1,196.39	751.65
व्यापारिक लेनदारियाँ	17	12,042.84	7,947.30
रोकड़ एवं बैंक शेष	18	9,241.46	12,837.86
अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	19	188.08	102.82
अन्य चालू संपत्तियाँ	20	264.18	176.37
		22,932.95	**21,816.00**
योग		**27,026.81**	**25,446.77**

संलग्न नोट्स, जोकि इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट आर्थिक चिट्ठा है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
गीता देवी गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–07573959

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 096137

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि का विवरण

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
व्यवसाय से आय	21	141,249.78	117,566.00
अन्य आय	22	746.15	631.68
कुल आय		**141,995.93**	**118,197.68**
व्यय			
स्टॉक इन ट्रेड का क्रय	23	133,462.72	107,932.12
तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन	24	(444.74)	281.73
कर्मचारियों लाभों संबंधी व्यय	25	1,329.66	1,251.94
वित्त लागत	26	345.06	305.61
मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	27	278.38	261.07
अन्य व्यय	28	7,394.76	7,148.35
कुल व्यय		**142,365.84**	**117,180.82**
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(369.91)**	**1,016.86**
कर व्यय			
चालू कर		–	290.00
स्थगित कर (Deferred Tax)		(16.19)	(16.47)
पूर्व वर्षो से संबंधित कर		(8.35)	(3.42)
		(24.54)	**270.11**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**(345.37)**	**746.75**
प्रति समता अंश आय/(हानि) :	29		
[(अंकित मूल्य प्रति शेयर: रू.100/–)			
(31 मार्च, 2022:रू.100/–)]			
मूल		(9.61)	18.84
डायल्यूटेड		(9.61)	18.84

संलग्न नोट्स, जोकि इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।
यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ–हानि का विवरण है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137

ह./–
गीता देवी गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–07573959

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

क्र.स.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अ.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**			
	कर से पूर्व हानि		(369.91)	1,016.86
	समायोजन के लिये :			
	मूल्य ह्रास तथा क्षति संबंधी व्यय	27	278.38	261.07
	ब्याज से आय	22	(600.04)	(520.44)
	वित्त लागत	26	345.06	305.61
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)		(56.44)	(25.34)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक हानि		**(402.95)**	**1,037.76**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन			
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन			
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		1.48	(3.26)
	अन्य गैर चालू संपत्तियाँ (वृद्धि)/कमी		0.07	(1.13)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(85.26)	87.21
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		(444.74)	281.73
	व्यापारिक लेनदारियाँ में (वृद्धि)/कमी		(4,095.54)	2,041.26
	अन्य दीर्घकालीन दायित्व में वृद्धि/(कमी)		163.24	(62.88)
	अल्पकालीन प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		40.69	(78.58)
	व्यापारिक देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		1,688.57	(478.02)
	अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)		(24.17)	(0.73)
	(उपयोग) रोकड़/व्यवसाय से उत्पन्न		**(3,158.61)**	**2,823.36**
	कर भुगतान (रिफण्ड का शुद्ध)		(205.96)	(323.46)
	शुद्ध रोकड़ प्रवाह (उपयोग) व्यवसायिक गतिविधियों से	**(अ)**	**(3,364.57)**	**2,499.90**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**			
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की खरीद के लिए भुगतान		(141.00)	(63.08)
	प्राप्त ब्याज		512.23	726.29
	अन्य बैंक शेष से प्राप्तियां		6,049.53	7,063.08
	अन्य बैंक शेष में निवेश		(6,570.54)	(7,669.92)
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर प्राप्तियां		56.86	27.37
	शुद्ध रोकड़ प्रवाह (उपयोग)/ निवेशकीय गतिविधियों से	**(ब)**	**(92.92)**	**83.74**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह:**			
	वर्ष के दौरान अंश आवेदन हेतू प्राप्त राशि (आवंटन लंबित)		66.94	48.20
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियाँ (प्रतिभूति (Security) प्रीमियम सहित) (शुद्ध)		371.87	(402.71)
	अल्पकालीन ऋणों से प्राप्तियाँ		27,900.60	28,961.85
	अल्पकालीन ऋणों का पुनर्भुगतान		(27,911.74)	(30,853.56)
	लाभांश का भुगतान		(250.60)	(281.37)
	वित्त लागत भुगतान		(332.95)	(347.22)
	वित्तीय गतिविधियों में उपयोग किया गया शुद्ध रोकड़	**(स)**	**(155.88)**	**(2,874.81)**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में शुद्ध कमी	**(अ+ब+स)**	**(3,613.37)**	**(291.17)**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		6,852.47	7,143.64
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		**3,239.10**	**6,852.47**
	रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों में सम्मिलित है :	**18**		
	बैंकों में शेष:			
	चालू खातों में		530.43	3,436.25
	मांग जमाएं (3 महीने से कम परिपक्वता)		2,708.67	3,416.22
			3,239.10	**6,852.47**

नोट्स:

i) रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखांकन मानक 3 – रोकड़ प्रवाह विवरण, में निर्धारित ''अप्रत्यक्ष विधि'' के अंतर्गत तैयार किया गया है।

ii) कोष्ठक में दिये गये आंकड़े रोकड़ निकासी को दर्शाते है।

यह निर्धारित दिनांक को हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट रोकड़ प्रवाह विवरण है।

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./–
गीता देवी गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–07573959

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302
स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

1. सामान्य जानकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था। कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केंद्रों (MPP) के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का उपयोग पॉली पैक दूध (पीपीएम) एवं घी बनाने के लिए भी करती है। कम्पनी पशु आहार, डेयरी फ्रैश एवं पशु सीमेन की सेवाओं में भी व्यवसाय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां का संक्षिप्त विवरण

2.1 तैयार करने का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत अवधारणा के अंतर्गत भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार संचय के आधार (Accural Basis) पर तैयार किये गये है। यह वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और लागू होने वाले प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (लेखा मानक) 2021 के तहत् अधिसूचित लेखा मानकों के सभी आवश्यक पहलुओं के अनुपालना में तैयार किये गये है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (खंड I) में निर्दिष्ट कम्पनी के परिचालन चक्र और अन्य मापदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति और प्रसंस्करण के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण और रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यो में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कम्पनी ने संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर–चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में सुनिश्चित किया है।

2.2 संपत्ति, प्लांट और उपकरण

संपत्ति, प्लांट और उपकरण को उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति हानि, यदि कोई है, तो उसको घटाने के उपरान्त लिया गया है। लागत में आयात शुल्क और गैर वापसी योग्य करों सहित क्रय मूल्य और संपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए किये गये प्रत्यक्ष रूप से खर्चे सम्मिलित है। यदि मान्यता मापदंड पूरे होते है तो संपत्ति, प्लांट और उपकरण की किसी वस्तु से संबंधित बाद की लागतों को उस वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण की वस्तु को निष्कासन पर या जब इसके उपयोग या निष्कासन से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हों नहीं हैं, तब उसे अमान्य कर दिया जाता है। अमान्य होने पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.3 मूल्य ह्रास

संपत्ति की प्रकृति, उनके उपयोग की अनुमानित अवधि और परिचालन स्थितियों को ध्यान में रखने हुये प्रबंधन के विशेषज्ञ द्वारा किये गये तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति के अनुमानित उपयोगी अस्तित्व पर सीधी रेखा पद्धति से आनुपातिक आधार पर मूल्य ह्रास प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए मूल्यह्रास शुल्क को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि इसे किसी अन्य संपत्ति की वहन राशि में सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपयोगी अस्तित्व, अवशिष्ट मूल्य और मूल्य ह्रास पद्धति की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाती है। यदि अपेक्षाएं गत अनुमानों से भिन्न है, तो परिवर्तनों को लेखाकंन अनुमान में परिवर्तन के रूप में ध्यान में रखा जाता है।

संपत्ति, प्लांट और उपकरण के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:-

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षों में)
बिल्डिंग	30	10
प्लांट एवं उपकरण	15	10
दूध के कैन	15	4
ऑफिस उपकरण	5	5
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	10	10
कम्प्यूटर्स	3	3

2.4 अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्तियों को अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई है तो उसको घटाने के उपरान्त लिया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन उनके अनुमानित उपयोगी अस्तित्व के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया जाता है। प्रबंधन द्वारा खंडन योग्य अवधारणा पर विचार किया जाता है कि किसी अमूर्त संपत्तियों का उपयोगी अस्तित्व उस दिनांक से 10 वर्ष से अधिक नहीं होगा जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर की जाती है। यदि संपत्ति का अपेक्षित उपयोगी अस्तित्व गत अनुमानों से काफी भिन्न है तो परिशोधन अवधि तदनुसार परिवर्तन कर दी जाती है।

किसी अमूर्त संपत्ति की सेवानिवृति या निष्कासन से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निष्कासन आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमूर्त संपत्ति के उपयोगी अस्तित्व (Useful Life) का अनुमान निम्न प्रकार है:-

संपत्ति	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी अस्तित्व (वर्षों में)	प्रबंधन द्वारा उपयोगी अस्तित्व का अनुमान (वर्षों में)
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	NA	3
ट्रेड मार्क	NA	5

2.5 ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज, ऋण के संबंध में होने वाली अन्य लागत और विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर सम्मिलित होते हैं, इस सीमा तक कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार सामान्य और विशिष्ट ऋण लागत, जो ऐसी संपत्तियां है जिन्हें इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उन संपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है, जब तक कि संपत्तियां अपने इच्छित उपयोग या बिक्री पर्याप्त रूप से तैयार न हो जायें। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय किये गये है।

2.6 संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि संपत्ति (मूर्त और अमूर्त) क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति/रोकड़ उत्पादन इकाई (''CGU'') की प्राप्ति योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। प्राप्ति योग्य

राशि किसी संपत्ति या CGU के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य किसी संपत्ति के निरंतर उपयोग और उसके उपयोगी अस्तित्व के अंत में उसके निष्कासन से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है। हानि का आंकलन करने के उद्देश्य से, प्राप्ति योग्य राशि एक विशिष्ट संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति रोकड़ प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है। संपत्तियों के पहचान योग्य सबसे छोटा समूह जो निरंतर उपयोग से रोकड़ प्रवाह उत्न्न करता है जो अन्य संपत्तियों या संपत्तियों के समूहों से रोकड़ प्रवाह से व्यापक रूप से स्वतंत्र होता है, उसे CGU माना जाता है। संपत्तियों या CGU जिसका वहन मूल्य इसकी प्राप्ति योग्य राशि से अधिक है, को क्षतिग्रस्त माना जाता है और इसकी प्राप्तियां योग्य राशि में लिखा जाता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि पर मूल्यांकन भी किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पूर्व लेखांकन अवधि में किसी संपत्ति के लिए मान्यता प्राप्त हानि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है या कम हो सकती है। हानि को उस सीमा तक बदल दिया जाता है कि संपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो जो निर्धारित की गई होती यदि कोई हानि पहले से मान्यता प्राप्त नहीं थी।

2.7 स्टॉक

स्टॉक कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। तैयार माल की लागत में कच्चा स्टॉक, प्रत्यक्ष श्रम, अन्य प्रत्यक्ष लागत, संबंधित उत्पादन ओवरहेड्स और स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागत भी सम्मिलित है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की सामान्य प्रणाली में पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत को घटाने के पश्चात अनुमानित बिक्री मूल्य है।

2.8 आय का निर्धारण

माल की बिक्री

बिक्री को मान्यता तब दी जाती है जब अनुबंध की शर्तो के अनुसार माल का स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल क्रेता को हस्तांतरित कर दिये जाते है, जो माल की डिलीवरी के अनुरूप है और व्यापार बट्‌टे, छूट और वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

अन्य आय

ब्याज आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुये समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है।

2.9 कर्मचारी लाभ

भविष्य निधि

कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि में योगदान नियामन प्राधिकरण को किया जाता है, जहां कम्पनी का कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं है। ऐसे लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि कम्पनी का मासिक आधार पर किये गये योगदान के अतिरिक्त कोई ओर दायित्व नहीं है।

ग्रेच्यूटी

कम्पनी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार पात्र कर्मचारियों को कवर करने वाली एक परिभाषित लाभ योजना (''ग्रेच्यूटी योजना'') प्रदान करती है। ग्रेच्यूटी योजना निहित कर्मचारियों को सेवानिवृति, मृत्यू, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर संबंधित कर्मचारी के वेतन और रोजगार के कार्यकाल के आधार पर एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समापन पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते है। ग्रेच्यूटी योजना, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निधिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक चिट्‌ठा में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से परिभाषित लाभ दायित्व घटाकर वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समापन से 12 महीनों के अंदर प्राप्त या नकदीकरण किये जाने की संभावना है, को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। इसके प्रति दायित्व को वर्ष के समापन में अप्रयुक्त योग्यता के परिणामस्वरूप भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति को जमा करने की अपेक्षित लागत पर मापा जाता है।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, जिसे वर्ष के समापन से 12 महीनों से अधिक समय तक प्राप्त या नकदीकरण की जाने की संभावना है, को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है। कम्पनी की देनदारी प्रत्येक वर्ष के समापन पर बीमांकिक रूप से (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके) निर्धारित की जाती है। बीमांकिक हानि/लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते है।

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा निधिबद्ध एवं प्रशासित है। LIC में किये गये योगदान को योजना संपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है। आर्थिक चिट्ठा में मान्यता प्राप्त संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व, योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से घटाकर संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।

2.10 चालू एवं स्थगित कर

अवधि के लिए कर व्यय, जिसमें वर्तमान कर और स्थगित कर सम्मिलित है जोकि अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित किये गये है। वर्तमान कर को प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर प्राधिकरण को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है।

स्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेक पर विचार के अधीन, सभी समय अंतरों के लिए स्थगित कर को मान्यता प्रदान की जाती है। स्थगित कर केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है और मान्यता प्रदान की जाती है, जहां उचित निश्चितता हो (जहां कम्पनी ने कर कानूनों के अंतर्गत अवशोषित मूल्यह्रास या नुकसान को आगे बढाया हो, को छोड़कर) की पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके समक्ष ऐसी स्थगित कर संपत्तियों की प्राप्ति की जा सकती है। स्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है और कर कानून जो आर्थिक चिट्ठा की दिनांक तक अधिनियमित या पूर्ण रूप से अधिनियमित किये गये है।

ऐसी स्थितियों में, जहां कम्पनी ने कर कानूनों के अंतर्गत मूल्यह्रास को अवशोषित नहीं किया है या हानि को आगे बढ़ाया है, सभी स्थगित कर संपत्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां इस बात की आभासी निश्चितता एवं विश्वसनीय सबूत हो कि वह भविष्य में कर योग्य लाभ के समक्ष इसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक आर्थिक चिट्ठा की तिथि पर, कम्पनी गैर-मान्यता प्राप्त स्थगित कर संपत्तियों, यदि कोई हो, का पुनर्मूल्यांकन करती है।

वर्तमान कर संपत्तियों और चालू कर देनदारियों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देनदारी को शुद्ध आधार पर स्थगित करने का उद्देश्य है। स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों की प्रतिपूर्ति तब की जाती है जब चालू कर का प्रतिनिधित्व करने वाली दायित्वों के विरूद्ध संपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से अधिकार है और जहां स्थगित कर संपत्तियों और स्थगित कर दायित्वों समान अभिशासित कराधान कानूनों द्वारा लगाये गये आय पर करों से संबंधित है।

2.11 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब किसी गत घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है, यह संभव है कि दायित्व को स्थापित करने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान है। प्रावधानों को आर्थिक चिट्ठा की तिथि पर चालू दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यय के सर्वोतम अनुमान पर मापा जाता है और इसके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है।

आकस्मिक दायित्व

आकस्मिक दायित्व का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से कोई संभावित दायित्व उत्पन्न होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो संपूर्ण रूप से कम्पनी के नियंत्रण में नहीं है या कोई वर्तमान दायत्वि जो पिछले घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभव नहीं है स्थापित करने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी या राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

2.12 अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकन सिंद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो आर्थिक चिट्ठा की तिथि के अनुसार संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि, वर्ष के लिए आय और व्यय की रिपोर्ट की गई की राशि और आर्थिक चिट्ठे की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते है। इन वित्तीय विवरणों में उपयोग किये गये अनुमान और धारणाएं वित्तीय विवरण की तिथि के अनुसार प्रासंगिक तथ्यों और संपत्तियों के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते है और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते है।

2.13 लीज

परिचालन लीज

ऐसी लीज जिनमें स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण भाग मालिक (Lessor) के निहित होता है, उन्हें परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन लीज के अंतर्गत किये गये भुगतान को लीज की अवधि के दौरान एक सीधी पद्धति के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है।

2.14 रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य

रोकड़ प्रवाह विवरण में, रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में हस्तगत रोकड़, बैंकों के पास मांग जमायें, 3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता की अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश सम्मिलित है।

2.15 प्रति अंश आय

प्रति अंश मूल आय की गणना अवधि के दौरान बकाया समता अंशों की भारित औसत संख्या से समता अंशधारकों के कारण होने वाली अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना करने के उद्देश्य से, समता अंशधारकों के कारण अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि और अवधि के दौरान बकाया अंशों की भारित औसत संख्या को सभी डायल्यूटेड संभावित समता अंशों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

2.16 अनुदान

सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान को तब मान्यता प्रदान की जाती है जब उसका यह कोई उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और कम्पनी सभी संलग्न शर्तो का पालन करेगी।

आय से संबंधित सरकारी अनुदानो को स्थगित कर दिया जाता हैं और उन्हें उन लागतों के साथ मिलाने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान लाभ या हानि मानी जाती है जिनकी क्षतिपूर्ति करने का उनका उद्देश्य है और अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

संपति, प्लांट और उपकरण के क्रय से संबंधित सरकारी अनुदान को स्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है जिसे संपत्ति के अस्तित्व एवं व्यवस्थित रूप से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है अर्थात, ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्तियों पर मूल्य ह्रास शुल्क को स्थगित अनुदान से विनियोजित किया जाता है और कम मूल्यह्रास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
3.	**अंश पूंजी**		
	अधिकृत		
	5,000,000 (31 मार्च, 2022 : 5,000,000) समता अंश, रू. 100/- प्रति समता अंश	5,000.00	5,000.00
	जारी की गई		
	3,769,204 (31 मार्च, 2022 : 3,579,944) समता अंश, रू. 100/- प्रति समता अंश	3,769.20	3,579.94
	सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी		
	3,769,204 (31 मार्च, 2022 : 3,579,944) समता अंश, रू. 100/- प्रति समता अंश	3,769.20	3,579.94

(i) अंशों की संख्या का मिलान:

31 मार्च 2023 को स्थिति

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	राशि
समता अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,579,944	3,579.94
जोडिये: वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	528,679	528.68
घटाईये: वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	(339,419)	(339.42)
वर्ष के समापन पर शेष	**3,769,204**	**3,769.20**

31 मार्च 2022 को स्थिति

विशिष्टियाँ	अंशों की संख्या	राशि
समता अंश		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	4,019,649	4,019.65
जोडिये: वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	422,909	422.91
घटाईये: वर्ष के दौरान निरस्त/समर्पण किए गए समता अंश	(862,614)	(862.61)
वर्ष के समापन पर शेष	**3,579,944**	**3,579.94**

(ii) समता अंशों से सम्बन्धित अधिकार तथा प्रतिबंध

कंपनी के पास समता अंशों की केवल एक श्रेणी है जिनका सममूल्य रू. 100/- प्रति अंश है। प्रत्येक अंशधारक एक वोट के लिए पात्र है। कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस प्राप्त करने का अधिकारी है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम सभा में अंशधारकों के अधीन है।

(iii) कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक अंश पूंजी नही है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के 5 वर्षो के दौरान नकद या बोनस के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए कोई अंश जारी नहीं किये गये है।

(v) प्रमोटर्स की अंशधारिता का विवरण

31 मार्च 2023 को स्थिति

क्र.सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	130	0.00
3	भागचन्द	86	0.00
4	भगवान सहाय	126	0.00
5	गीता देवी गुर्जर	39	0.00
6	जय सिंह राठौड़*	Not Applicable	Not Applicable
7	जटा शंकर यादव	34	0.00
8	लादू लाल	65	0.00
9	ममता चौधरी*	Not Applicable	Not Applicable
10	ममता चौधरी-II	58	0.00
11	नारायण लाल गुर्जर	203	0.01
12	सेडमल शर्मा	14	0.00
13	सुनिता शर्मा	219	0.01
14	सुशील कुमार वैष्णव*	Not Applicable	Not Applicable
15	विजय सिंह मीणा	183	0.00
16	चन्दा यादव**	140	0.00
17	हनुमान चौधरी**	53	0.00
18	जगदीश प्रसाद इनाणीया**	90	0.00

*दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से कम्पनी में निदेशक के पद पर नहीं है।

**दिनांक 19 सितम्बर, 2022 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

31 मार्च 2022 को स्थिति

क्र.सं.	प्रमोटरों का नाम	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	अनिल कुमार	271	0.01
2	बलदेव राम बेरवाल	130	0.00
3	भागचन्द***	83	0.00
4	भगवान सहाय	124	0.00
5	गीता देवी गुर्जर	39	0.00
6	जय सिंह राठौड़	33	0.00
7	जटा शंकर यादव	34	0.00
8	लादू लाल	65	0.00
9	ममता चौधरी	162	0.00
10	ममता चौधरी-II	56	0.00
11	नारायण लाल गुर्जर	180	0.01
12	सेडमल शर्मा	14	0.00
13	सुनिता शर्मा***	219	0.01
14	सुशील कुमार वैष्णव	117	0.00
15	विजय सिंह मीणा***	178	0.00

***दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 से कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	6,205.75	5,709.60
	जोड़िये/(घटाईये): लाभ एवं हानि के विवरण मे अधिशेष से/(में) अंतरित	(609.21)	496.15
	वर्ष के समापन पर शेष	**5,596.54**	**6,205.75**
	(ब) प्रतिभूति प्रीमियम खाता		
	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1,613.52	1,487.75
	जोड़िये : वर्ष के दौरान जारी किये गये अंशों पर प्रीमियम	264.34	211.45
	घटाईये : वर्ष के दौरान अंशों के निरस्त/समर्पण पर प्रीमियम का भुगतान	(33.53)	(85.68)
	वर्ष के समापन पर शेष	**1,844.33**	**1,613.52**
	(स) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष/(कमी)		
	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	250.60	281.37
	जोड़िये : वर्ष का लाभ/(हानि)	(345.37)	746.75
	घटाईयें : 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को (रू. 7/– प्रति अंश) अंतिम सीमित प्रतिफल (डीविडेंड)	(250.60)	(281.37)
	जोड़िये/(घटाईयें): सामान्य संचय से /(में) हस्तातंरण	609.21	(496.15)
	वर्ष के समापन पर शेष	**263.84**	**250.60**
		7,704.71	**8,069.87**
5.	**आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि**		
	अंश आवेदन राशि (नोट 32 को देखें)	66.94	48.20
		66.94	**48.20**
6.	**स्थगित अनुदान (Deferred Grant)**		
	अ. वर्ष के प्रारम्भ में शेष	467.89	596.47
	ब. घटाईये : पूंजीगत अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्वास (नोट 12 (अ) को देखें)	(114.07)	(128.44)
	स. घटाईये : संपत्ति, प्लांट और उपकरण को बट्टे खातें (Write-off) में डालने पर हानि	(0.24)	(0.14)
		353.58	**467.89**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
7.	**अन्य दीर्घकालीन दायित्व**		
	(अ) व्यवसाय/प्रतिभूति जमा प्राप्तियां	1,249.47	1,086.23
		1,249.47	**1,086.23**

8. अल्पकालीन ऋण	मुद्रा में ऋण	परिपक्वता तिथि	पुनर्भुगतान की शर्ते	रसीद/ब्याज दर	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
असुरक्षित						
बैंकों से						
बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा	रूपये	नीचे नोट (अ) को देखे	नीचे नोट (अ) को देखें	नीचे नोट (अ) को देखें	6,965.28	6,976.42
					6,965.28	**6,976.42**

नोटः (अ) कम्पनी ने बिल की तारीख से 90 दिनों तक की अवधि के लिए बैंक से बिल डिस्कांउटिंग सुविधा ले रखी है। ब्याज दर, रेपो रेट प्लस 0.20 प्रतिशत (31 मार्च 2022 को रेपो रेट प्लस 0.20 प्रतिशत) है।

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
9.	**व्यावसायिक देनदारियाँ**		
	(अ) लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों की कुल बकाया राशि (नीचे नोट को देखें)	825.39	17.50
	(ब) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	5,598.77	4,718.09
		6,424.16	**4,735.59**

नोटः लघु उद्योगों एवं सूक्ष्म उद्योगों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत परिभाषित सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग (एमएसएमई) को बकाया का विवरण और एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण इस प्रकार हैं :

एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और वर्ष के समापन पर अदत्त	825.39	17.50
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज और वर्ष के समापन पर अदत्त	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात् मूल राशि का भुगतान	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात् एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत ब्याज का भुगतान	–	–
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड आपूर्तिकर्ता को वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के पश्चात् एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अतिरिक्त ब्याज का भुगतान	–	–

भुगतान करने में हुए विलंब की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परन्तु निर्धारित तारीख के पश्चात्) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	–	–
लेखाकंन वर्ष के समापन पर अर्जित ब्याज एवं शेष अदत्त	–	–
पूर्ववर्ती वर्षों में भी शेष देय और संदेय और ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब यथा पूर्ववत देय ब्याज का लघु उद्यमी को वास्तव में भुगतान कर दिया गया हो, एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में मूक के प्रयोजन के लिए	–	–

9 व्यावसायिक देनदारियाँ (निरंतर)

व्यावसायिक देनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची:

विवरण	31 मार्च, 2023 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नही	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	–	–	825.39	–	–	–	825.39
अन्य	–	–	5,572.33	4.71	12.41	9.32	5,598.77
विवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–	–
योग	**–**	**–**	**6,397.72**	**4.71**	**12.41**	**9.32**	**6,424.16**

विवरण	31 मार्च, 2022 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	बिना बिल	देय नही	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	–	–	17.50	–	–	–	17.50
अन्य	–	–	4,643.85	16.87	20.16	37.21	4,718.09
विवादित देय							
लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	–	–	–	–	–	–	–
योग	**–**	**–**	**4,661.35**	**16.87**	**20.16**	**37.21**	**4,735.59**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
10.	**अन्य चालू दायित्व**		
	(अ) सदस्यता निरस्त की देनदारियाँ	102.56	118.91
	(ब) अर्जित ब्याज परन्तु देय नही	56.03	43.92
	(स) वैधानिक देय देनदारियां	49.52	55.74
	(द) अदत्त/अदावाकृत (Unclaimed) लांभाश	23.07	40.86
	(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	32.55	45.80
	(र) ग्राहकों से प्राप्त प्रतिभूति जमाएं	86.70	76.91
	(ल) कर्मचारी लाभ देय	89.96	88.10
		440.39	**470.24**
11.	**अल्पकालीन प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान :		
	(अ) अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान	53.08	12.39
		53.08	**12.39**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

12. संपत्ति, प्लांट और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	37.50	–	2.04	35.46	24.93	3.03	2.03	25.93	9.53	12.57
प्लांट एवं उपकरण	4,645.68	102.13	142.47	4,605.34	3,423.20	369.92	142.09	3,651.03	954.31	1,222.48
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	230.33	1.56	0.85	231.04	222.46	4.92	0.85	226.53	4.51	7.87
ऑफिस उपकरण	67.73	1.26	0.46	68.53	62.35	1.86	0.43	63.78	4.75	5.38
कम्प्यूटरर्स	836.14	35.82	8.19	863.77	820.04	12.72	8.19	824.57	39.20	16.10
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,360.25	–	–	1,360.25	1,360.25	–	–	1,360.25	–	–
ट्रेड मार्क	0.90	–	–	0.90	0.90	–	–	0.90	–	–
योग	**7,178.53**	**140.77**	**154.01**	**7,165.29**	**5,914.13**	**392.45**	**153.59**	**6,152.99**	**1,012.30**	**1,264.40**

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2022 को स्थिति	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	37.50	–	–	37.50	21.91	3.02	–	24.93	12.57	15.59
प्लांट एवं उपकरण	4,622.44	46.24	23.00	4,645.68	3,091.64	352.68	21.12	3,423.20	1,222.48	1,530.80
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	229.28	2.55	1.50	230.33	217.96	6.00	1.50	222.46	7.87	11.32
ऑफिस उपकरण	66.90	1.29	0.46	67.73	43.43	19.23	0.31	62.35	5.38	23.47
कम्प्यूटरर्स	822.42	15.34	1.62	836.14	815.37	6.29	1.62	820.04	16.10	7.05
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,360.25	–	–	1,360.25	1,357.96	2.29	–	1,360.25	–	2.29
ट्रेड मार्क	0.90	–	–	0.90	0.90	–	–	0.90	–	–
योग	**7,139.69**	**65.42**	**26.58**	**7,178.53**	**5,549.17**	**389.51**	**24.55**	**5,914.13**	**1,264.40**	**1,590.52**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट 12 (अ) :

पूंजीगत अनुदान से अर्जित की गई एवं नोट 12 में सम्मिलित सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार है

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	01 अप्रैल, 2022 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	31.90	–	–	31.90	19.34	3.03	–	22.37	9.53	12.56
प्लांट एवं उपकरण	1,690.72	–	67.65	1,623.07	1,240.72	109.88	67.44	1,283.16	339.91	450.00
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	192.54	–	0.85	191.69	189.62	1.16	0.85	189.93	1.76	2.92
ऑफिस उपकरण	48.43	–	0.46	47.97	46.02	–	0.43	45.59	2.38	2.41
कम्प्यूटरर्स	725.43	–	2.84	722.59	725.43	–	2.84	722.59	–	–
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	–	–	1,302.33	1,302.33	–	–	1,302.33	–	–
ट्रेड मार्क	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	**3,991.35**	**–**	**71.80**	**3,919.55**	**3,523.46**	**114.07**	**71.56**	**3,565.97**	**353.58**	**467.89**

विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक				संचित मूल्य ह्रास/क्षति				शुद्ध ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2022 को स्थिति	01 अप्रैल, 2021 को स्थिति	वर्ष के लिये भार	वर्ष के दौरान निष्कासन	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति	31 मार्च 2021 को स्थिति
संपत्ति, प्लांट और उपकरण										
बिल्डिंग	31.90	–	–	31.90	16.31	3.03	–	19.34	12.56	15.59
प्लांट एवं उपकरण	1,690.89	–	0.17	1,690.72	1,131.01	109.89	0.18	1,240.72	450.00	559.88
फर्नीचर तथा फिक्चर्स	192.04	–	1.50	192.54	189.96	1.16	1.50	189.62	2.92	4.08
ऑफिस उपकरण	48.89	–	0.46	48.43	31.97	14.36	0.31	46.02	2.41	16.92
कम्प्यूटरर्स	727.05	–	1.62	725.43	727.05	–	1.62	725.43	–	–
अमूर्त संपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,302.33	–	–	1,302.33	1,302.33	–	–	1,302.33	–	–
ट्रेड मार्क	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
योग	**3,995.10**	**–**	**3.75**	**3,991.35**	**3,398.63**	**128.44**	**3.61**	**3,523.46**	**467.89**	**596.47**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाखों रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
13.	**स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)**		
	(Deferred tax Assets (net)		
	(अ) स्थगित कर दायित्वों	–	–
	(ब) स्थगित कर संपत्तियाँ		
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण एवं अमूर्त संपत्तियां	53.42	37.23
	स्थगित कर संपत्तियाँ (शुद्ध)	**53.42**	**37.23**

नोट :

ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता के अभाव में पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके समक्ष स्थगित कर संपत्ति को प्राप्त किया जा सके, आगे बढाये गये कर हानि पर स्थगित कर संपत्ति को लेखांकन मानक–22 आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार मान्यता नहीं दी गई है।

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
14.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
	(अ) पूर्वदत्त व्यय	2.04	3.52
	(ब) अग्रिम आयकर (आयकर के लिए प्रावधानों का शुद्ध रू. 2,378.32 (31 मार्च, 2022: रू. 2,668.32))	389.51	175.20
		391.55	**178.72**
15.	**अन्य गैर चालू संपतियाँ**		
	(असुरक्षित, उचित माने गयें)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	9.56	9.63
	(ब) अन्य लेनदारियां	1.13	1.13
	(स) अन्य बैंक शेष		
	बैंक में 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली दीर्घकालिन जमाएं*	2,625.90	2,139.66
		2,636.59	**2,150.42**

*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित रू. 720.01 (31 मार्च, 2022: रू. 1133.69)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
16.	**स्टॉक**		
	(अ) तैयार माल (ट्राजिंट में रू. 489.30 सम्मिलित है, 31 मार्च, 2022 : रू. 295.81)	1,196.39	751.65
		1,196.39	**751.65**
17.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(अ) सुरक्षित, उचित माने गये	332.98	346.73
	(ब) असुरक्षित, उचित माने गये	11,709.86	7,600.57
		12,042.84	**7,947.30**

नोट संख्या 8 को भी देखें

17 व्यावसायिक लेनदारियाँ (निरंतर)

व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची:

विवरण	31 मार्च, 2023 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महिने से कम	6 महिने से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	–	12,042.78	0.06	–	–	–	12,042.84
संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	–	–	–	–	–	–	–
संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–	–
	–	**12,042.78**	**0.06**	**–**	**–**	**–**	**12,042.84**

व्यावसायिक लेनदारियाँ परिपक्वन अनुसूची:

विवरण	31 मार्च, 2022 को भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						
	देय नहीं	6 महिने से कम	6 महिने से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अविवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	–	7,947.30	–	–	–	–	7,947.30
संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–	–
विवादित व्यावसायिक लेनदारियाँ							
उचित माने गये	–	–	–	–	–	–	–
संदिग्ध माने गये	–	–	–	–	–	–	–
	–	**7,947.30**	**–**	**–**	**–**	**–**	**7,947.30**

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
18.	**रोकड़ तथा रोकड़ शेष**		
	(अ) रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य		
	बैंक शेष :		
	– चालू खातों में	530.43	3,436.25
	– मांग जमा (परिपक्वता अवधि तीन महीनों से कम)*	2,708.67	3,416.22
		3,239.10	**6,852.47**

*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित रू. 1481.05 (31 मार्च, 2022: रू. 1479.87)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	वास्तविक परिपक्वता अवधि तीन महीनों से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की जमाएं*	5,979.29	5,944.53
	अदत्त लाभांश खातें	23.07	40.86
		6,002.36	**5,985.39**
		9,241.46	**12,837.86**

*कम्पनी के पक्ष में ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी के लिए बैंक द्वारा Lien के रूप में धारित रू. 1367.84 (31 मार्च, 2022: रू. 833.33)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
19.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये अग्रिम	0.05	0.05
	(ब) गेच्युटी फंड (नोट 34 देखें)	8.39	19.70
	(स) लेनदारों को अग्रिम	15.64	6.81
	(द) पूर्वदत्त व्यय	119.52	48.44
	(य) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	44.48	27.82
		188.08	**102.82**
20.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) बैंक में जमा राशि पर अर्जित ब्याज	264.18	176.37
		264.18	**176.37**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
21.	**व्यवसाय से आय**		
	उत्पादों की बिक्री		
	– तैयार माल (नीचे नोट (ii) देखें)	158,231.55	129,410.77
	– घटाईये : पुनः क्रय के लिए तृतीय पक्ष (दुग्ध प्रोसेसर) को विक्रय (नीचे नोट (i) देखें)	16,981.77	11,844.77
		141,249.78	**117,566.00**

नोट्स:

(i) दुग्ध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए तृतीय पक्ष को विक्रय, जो उपभोक्ताओं को विक्रय करने के लिए पुनः क्रय किया जाता है, को दर्शाता है।

		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	(ii) **विक्रय का विवरण**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	114,931.60	96,042.56
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	10,838.04	7,859.82
	(स) अन्य दूध उत्पाद	1,002.82	1,217.96
	(द) घी	4,052.37	3,497.50
	(य) पशु आहार	10,215.60	8,777.22
	(र) पशु सीमेन	209.35	170.94
	कुल	**141,249.78**	**117,566.00**
22.	**अन्य आय**		
	ब्याज से आय		
	–बैंक जमाओं पर	590.97	520.44
	–आयकर रिफण्ड पर	9.07	-
	अन्य गैर–व्यवसायिक आय		
	सदस्यता शुल्क	7.56	5.82
	संपत्ति, प्लांट और उपकरण की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	56.44	25.34
	विविध आय	82.11	80.08
		746.15	**631.68**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.	विशिष्टियाँ		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
23.	**स्टॉक इन ट्रेड का क्रय**			
	(अ)	कच्चा दुग्ध (नोट संख्या 21(i) देखें)	107,242.87	87,378.51
	(ब)	पॉली पैक दुग्ध	10,983.04	7,262.26
	(स)	घी	4,161.56	3,418.92
	(द)	पशु आहार	9,908.08	8,423.21
	(य)	अन्य दूध उत्पाद	993.39	1,307.40
	(र)	पशु सीमेन	173.78	141.82
		कुल	**133,462.72**	**107,932.12**
24.	**तैयार माल के स्टॉक में परिवर्तन**			
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी			
	वर्ष के समापन पर स्टॉक			
	(अ) तैयार माल		1,196.39	751.65
	घटाईये : वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक			
	(अ) तैयार माल		751.65	1,033.38
	स्टॉक में (वृद्धि)/कमी		**(444.74)**	**281.73**
25.	**कर्मचारी लाभों के लिए व्यय**			
	(अ)	वेतन, मजदूरी एवं लाभांश	1,201.65	1,124.38
	(ब)	ग्रेच्युटी (नोट 34 देखें)	28.00	29.67
	(स)	भविष्य निधियों में योगदान (नोट 34 देखें)	81.86	76.54
	(द)	कर्मचारी कल्याण व्यय	18.15	21.35
			1,329.66	**1,251.94**
26.	**वित्त लागत**			
	ऋण पर ब्याज व्यय		345.06	305.61
			345.06	**305.61**
27.	**मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय**			
	संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण पर मूल्य ह्रास (नोट 12 देखें)		392.45	387.22
	घटाईये: पूंजी अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों			
	पर मूल्य ह्रास (नोट 12 (अ) देखें)		(114.07)	(128.44)
	अमूर्त संपत्तियों की क्षति (नोट 12 देखें)		–	2.29
			278.38	**261.07**

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

नोट सं.		विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
28.		**अन्य व्यय**		
	(a)	स्टोर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	135.69	95.95
	(b)	पॉवर एवं फ्यूल	22.69	20.47
	(c)	किराया (नोट 35 देखें)	84.26	90.28
	(d)	मरम्मत एवं रख-रखाव - भवन	62.74	90.99
	(e)	मरम्मत एवं रख-रखाव - मशीनरी	481.32	326.44
	(f)	मरम्मत एवं रख-रखाव - अन्य	12.75	10.78
	(g)	विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	115.29	208.73
	(h)	भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	4,890.23	4,709.91
	(i)	बीमा	109.08	76.99
	(j)	विधिक एवं पेशेवर शुल्क	134.22	246.63
	(k)	अंकेक्षकों को भुगतान (नीचे दिया गया नोट (i) देखें)	32.66	22.21
	(l)	यात्रा एवं परिवहन	239.43	133.89
	(m)	संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	738.53	808.72
	(n)	संप्रेषण व्यय	140.85	147.21
	(o)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के लिए व्यय (नीचे दिया गया नोट (ii) देखें)	17.65	21.68
	(p)	विविध व्यय	177.37	137.47
			7,394.76	**7,148.35**
	नोट (i):			
		अंकेक्षकों के पारिश्रमिक		
		वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	24.50	15.70
		कर अंकेक्षण शुल्क	2.50	2.50
		खर्चों की प्रतिपूर्ति	0.68	0.62
		उपरोक्त पर माल एवं सेवाकर (GST)	4.98	3.39
			32.66	**22.21**
	नोट (ii):			
		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय का विवरण		
		वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	17.65	21.68
		वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
		किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण		
		उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	17.65	21.68
			17.65	**21.68**
		वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
		अनुवर्ती वर्षो के लिए उपलब्ध समायोजन	-	-
		CSR गतिविधियों की प्रकृति		
		(i) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान		

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

CIN - U01211RJ2012PTC038955

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(सभी राशियाँ लाख रूपये में है, जब तक अन्य प्रकार से वर्णित न हो)

	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर
29.	**प्रति अंश आय/(हानि)**		
	कर के बाद लाभ/(हानि)	(345.37)	746.75
	वर्ष के दौरान भारित औसत अदत्त समता अंशों की संख्या	3,593,424	3,963,196
	प्रति समता अंश अंकित मूल्य (रू.)	100.00	100.00
	प्रति अंश मूल आय/(हानि) (रू.)	(9.61)	18.84
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	3,593,547	3,963,284
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय/(हानि) (रू.) (नीचे नोट को देखे)	(9.61)	18.84

नोट:

चालू वर्ष के दौरान हानियों को देखते हुये, प्रति अंश डायल्यूटेड आय की गणना में अंश आवेदन राशि के लंबित आवंटन को ध्यान में नही रखा गया है। तद्नुसार, प्रति अंश मूल और डायल्यूटेड आय के बीच कोई अंतर नहीं है।

	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
30.	**आकस्मिक दायित्व**		
	(अ) **कम्पनी के सम्मुख दावा जो ऋण के रूप में स्वीकार नही किया गया**		
	मुकदमों के अंतर्गत कर्मचारी दावें	14.01	14.01

31. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के सम्बन्ध में, दिनांक 14 जुलाई, 2023 को निदेशक मंडल की बैठक में कम्पनी के पूर्ण प्रदत्त समता अंशों पर रू. 263.84 लाख (रू. 7 प्रति अंश) अंतिम लाभांश के रूप में भुगतान किये जाने का प्रस्ताव किया है।

32. कम्पनी ने अपने सदस्यों से रू. 66.94 लाख की अंश आवेदन राशि प्राप्त की, जिसके समक्ष 19 मई, 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक में आंवटन कर दिया गया है।

33. **संबंधित पक्ष प्रकटीकरण (Related Party Desclosures)**

(अ) **संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंधित स्वरूप**

संबंधित स्वरूप	संबंधित पक्ष का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी	रतन कुमार सिंह (निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी)

(ब)	संबंधित पक्ष से लेन-देन की राशि एवं स्वरूप	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर
	प्रबंधक पारिश्रमिक:-		
	रतन कुमार सिंह	85.20	78.76

34. कर्मचारी लाभ योजनायें

अ) निर्धारित योगदान योजनायें

लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति की गई राशि	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर
i. प्राधिकरण को भविष्य निधि का भुगतान	81.86	76.54
	81.86	**76.54**

ब) निर्धारित लाभ योजना

ग्रेच्युटी

कम्पनी एक ग्रेच्युटी योजना संचालित करती है। प्रत्येक कर्मचारी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुरूप सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अंतिम 15 दिनों के वेतन के बराबर लाभ का पात्र है। यह कम्पनी से अलग होने या सेवानिवृत के समय, जो भी पहले हो, पर देय है। यह लाभ 5 साल की निरंतर सेवा के बाद मिलता है।

	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
i. निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	191.93	163.88
चालू सेवा लागत	13.55	27.52
ब्याज लागत	30.09	10.58
गत सेवा लागत	–	–
लाभ का भुगतान	(9.47)	(14.65)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.54)	4.60
वर्ष के समापन पर शेष	**225.56**	**191.93**

	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
ii. योजना संपत्तियों का उचित मूल्य		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	211.63	180.84
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	15.52	12.47
कम्पनी द्वारा योगदान	16.68	29.57
लाभ का भुगतान	(9.47)	(11.81)
बीमांकिक लाभ/(हानि)	(0.41)	0.56
वर्ष के समापन पर शेष	**233.95**	**211.63**

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष पर
iii. लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे		
वर्तमान सेवा लागत	13.55	27.52
ब्याज व्यय	30.09	10.58
गत सेवा लागत	–	–
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(15.52)	(12.47)
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.13)	4.04
कुल व्यय	**28.00**	**29.67**

iv. योजना संपत्तियों पर प्राप्ति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	15.52	12.47
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	(0.41)	0.56
योजना संपत्तियों पर वास्तविक प्राप्ति	**15.11**	**13.03**

v. (संपत्ति)/दायित्वों चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि	31 मार्च 2023 को स्थिति	31 मार्च 2022 को स्थिति
निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	225.56	191.93
घटाईये : योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	233.95	211.63
दायित्व/(संपत्ति) के रूप में स्वीकृत की राशि*	**(8.39)**	**(19.70)**

***नोट** 19 में प्रकटीकरण

vi. चालू और पिछले वर्ष में स्वीकृत की गई राशि

	31.03.2023 को स्थिति	31.03.2022 को स्थिति	31.03.2021 को स्थिति	31.03.2020 को स्थिति	31.03.2019 को स्थिति
निर्धारित लाभ दायित्व	225.56	191.93	163.88	154.87	110.46
योजना संपत्तियां	233.95	211.63	180.84	153.69	125.20
अधिशेष/(कमी)	(8.39)	(19.70)	(16.96)	1.18	(14.74)
योजना दायित्वों में अनुभवों का समायोजन – (हानि)/लाभ	(0.54)	(4.60)	22.53	(9.48)	(6.42)
योजना सम्पतियों में अनुभवों का समायोजन – (हानि)/लाभ	(0.41)	0.56	(1.05)	(1.27)	(1.35)

vii. बीमांकिक अनुमान	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष पर
बट्टे की दर	7.37%	7.24%
वेतन वृद्धि दर	8.00%	8.00%
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	7.21%	7.02%
संघर्षण दर (Attrition rate)	10.00%	10.00%

नोटस:

1. भविष्य में अनुमानित वेतनवृद्धि मंहगाई, बीमांकिक मूल्यांकन का अनुमान, मंहगाई, वरिष्ठता, पद्धोन्नत्तियों, वेतन वृद्धि एवं अन्य संबंधित तत्वों जैसे बाजार में रोजगार की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखकर किया जाता है।
2. उपयोग की जाने वाली बट्टे की दर आर्थिक चिट्ठे की तिथि को सरकारी बोंडों पर प्रतिबद्धताओं की दर के साथ परिपक्कता की शेष शर्तों से कम्पनी के दायित्वों का अनुमान लगाती है।

viii. अगले वर्ष फंड में अपेक्षित योगदान	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
गेच्युटी	16.68	16.68

ix. कुल योजना संपत्तियों के % रूप में योजना संपत्तियों की प्रमुख श्रेणी	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
बीमाकर्ता द्वारा निधि प्रबंधन	100%	100%

नोट:

योजना संपत्तियों पर रिटर्न की अपेक्षित दर (भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से) धारित योजना संपत्तियों की संरचना पर आधारित है।

35. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों के लिए परिचालन हेतु लीज़ व्यवस्था की है। ये लीज व्यवस्था 12 महीने और 30 वर्ष के बीच की अवधि के लिए होती है, जो निरस्त की जा सकती है। अधिकांश लीज पारस्परिक रूप से आपसी शर्तो पर आगे की अवधि के लिए नवीनीकरण की जा सकती है और इसमें वृद्धि खंड भी शामिल है। वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त लीज भुगतान रू. 84.26 (31 मार्च, 2022 को रू. रू. 90.28) है।

36. अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त विनियामक जानकारी

(अ) विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	परिवर्तन प्रतिशत में	परिवर्तन का कारण
चालू अनुपात	1	1.65	1.79	-7.66%	लागू नही
ऋण समता अनुपात	2	0.61	0.60	1.37%	लागू नही
ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	3	0.01	0.05	-82.30%	कम्पनी को हुई हानि के कारण गत वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।
अंशों पर प्रत्याय अनुपात	4	(0.03)	0.06	-146.30%	कम्पनी को हुई हानि के कारण गत वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।
स्टॉक आवर्त अनुपात	5	145.02	131.72	10.09%	लागू नही
व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात	6	14.13	13.11	7.80%	लागू नही
व्यापारिक देय आवर्त अनुपात	7	23.92	21.51	11.20%	लागू नही
शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात	8	15.13	11.09	36.37%	चालू वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में अनुपात में सुधार हुआ है।
शुद्ध लाभ अनुपात	9	(0.00)	0.01	-138.49%	कम्पनी को हुई हानि के कारण गत वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।
नियोजित पूंजी प्रत्याय	10	(0.00)	0.07	-101.98%	कम्पनी को हुई हानि के कारण गत वर्ष की तुलना में अनुपात में कमी आई है।
निवेश पर प्रत्याय	11	-	-	-	लागू नही

विवरण		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
1. चालू अनुपात			
चालू संपत्तियां	गुणक	22,932.95	21,816.00
चालू दायित्व	भाजक	13,882.91	12,194.64
2. ऋण समता अनुपात			
कुल ऋण	गुणक	6,965.28	6,976.42
अंशधारकों के समता अंश	भाजक	11,473.91	11,649.81
3. ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात			
ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय है।	गुणक	253.53	1,583.54
ऋण सेवा	भाजक	27,911.74	30,853.56
(i) ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय : कर से पूर्व शुद्ध लाभ+मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय+वित्तीय लागत+संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण की बिक्री पर हानि (शुद्ध)		253.53	1,583.54
(ii) ऋण सेवा: ब्याज और लीज भुगतान+प्रमुख अदायगी		27,911.74	30,853.56
4. अंशों पर प्रत्याय अनुपात			
कर के पश्चात शुद्ध लाभ	गुणक	(345.37)	746.75
औसत अंशधारकों के समता अंश	भाजक	11,561.86	11,574.09
5. स्टॉक आवर्त अनुपात			
विक्रय	गुणक	141,249.78	117,566.00
औसत स्टॉक	भाजक	974.02	892.52
6. व्यापारिक प्राप्य आवर्त अनुपात			
शुद्ध उधार विक्रय	गुणक	141,249.78	117,566.00
औसत खाता लेनदारियां	भाजक	9,995.07	8,967.93

7.	**व्यापारिक देय आवर्त अनुपात**			
	कुल खरीद	गुणक	133,462.72	107,932.12
	औसत व्यावसायिक देनदारियां	भाजक	5,579.88	5,018.09
8.	**शुद्ध पूंजी आवर्त अनुपात**			
	शुद्ध विक्रय	गुणक	141,249.78	117,566.00
	औसत कार्यशील पूंजी	भाजक	9,335.70	10,596.71
9.	**शुद्ध लाभ अनुपात**			
	शुद्ध लाभ	गुणक	(345.37)	746.75
	शुद्ध विक्रय	भाजक	141,249.78	117,566.00
10.	**नियोजित पूंजी प्रत्याय**			
	ब्याज और कर से पूर्व की आय	गुणक	(24.85)	1,322.47
	नियोजित औसत पूंजी	भाजक	18,487.39	19,467.37

नोट:

1) निवेश पर रिटर्न अनुपात लागू नहीं है।

(ब) अन्य विनियामक जानकारी

(i) कम्पनी के नाम से धारित नहीं अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए, यह कंपनी पर लागू नहीं है।

(ii) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी संव्यवहार अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार बेनामी संपत्ति रखने के लिए कम्पनी पर कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है या ना ही लंबित है।

(iii) चालू संपत्तियों के विरूद्ध सुरक्षित ऋण

कम्पनी ने चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के समुख बैंकों से ऋण लिया है। कम्पनी ने ऐसे बैंकों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण दर्ज नहीं किया है क्योंकि स्वीकृत पत्र/ऋणदाता के अनुबंध के अनुसार तिमाही रिटर्न की आवश्यकता नहीं है।

(iv) स्वेच्छिक चूककर्ता

कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा स्वेच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(v) बंद (Struck off) कंपनियों के साथ संबंध

कम्पनी अधिनियम, 2013 या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत बंद हुई कंपनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।

(vi) कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रभारों अथवा ऋणमुक्ति का पंजीकरण

ऐसा कोई प्रभार अथवा ऋण मुक्ति नहीं है जिसे वैधानिक अवधि के बाद कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर्ड किया जाना बाकी है।

(vii) कम्पनी के विभिन्न स्तरों (Layers) की अनुपालना

कम्पनी ने किसी भी सहायक कम्पनी में निवेश नहीं किया है, इसलिए, यह कम्पनी पर लागू नहीं है।

(viii) व्यवस्थाओं (Arrangements) की अनुमोदित योजनाओं की अनुपालना

कम्पनी ने व्यवस्था की किसी भी योजना में भाग नहीं किया है।

(ix) ऋण निधि और प्रतिभूतियों के प्रीमियम का उपयोग

कम्पनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्तियों या ईकाईयों को इस समझ के साथ निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ :

–कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चयनित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

–अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या ईकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है (चाहे लिखित रूप से दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कम्पनी:

–फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी तरीके से चयनित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण दे या निवेश करें।

–अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई वस्तु प्रदान करें।

(x) अप्रकटीकृत आय

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, कर निर्धारण में चालू या गत वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पण या प्रकटीकरण की गई कोई आय नहीं है, जिसे लेखा पुस्तिकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(xi) निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण या अग्रिम

कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(xii) क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा का विवरण

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(xiii) संपत्ति, प्लांट और उपकरण, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति का मूल्यांकन

कम्पनी ने चालू या गत वर्ष के दौरान संपत्ति, प्लांट और उपकरण या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xiv) बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण का उपयोग

कम्पनी द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण को उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया है जिनके लिए ऐसे ऋण लिये गये थे।

37. खंड रिपोर्टिंग (Segment Reporting)

कम्पनी के व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में पहचाना है। लेखा मानकों 17–खंड रिपोर्टिंग के अनुसार, कम्पनी ने अपने व्यवसाय खंड को दूध, दूध उत्पादों और पशु आहार का व्यापार के रूप में निर्धारित किया है। क्योंकि कम्पनी का सम्पूर्ण व्यवसाय दूध, दूध उत्पादों और पशु आहार के व्यापार से है, इसलिए कोई अन्य प्राथमिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। इस प्रकार, खंड राजस्व, खंड परिणाम, खंड संपत्तियों का कुल वहन मूल्य, खंड दायित्वों कुल वहन मूल्य, खंड संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए की गई कुल लागत, वर्ष के दौरान मूल्य ह्रास और परिशोधन के शुल्क की कुल सभी राशि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में परिलक्षित है। आगे, चूंकि कम्पनी का सम्पूर्ण राजस्व भारत से उत्पन्न होता है, इसलिए भौगोलिक द्वितीयक खंड के प्रकटीकरण लागू नहीं होते है।

38. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('संहिता') रोजगार के दौरान और रोजगार के बाद कर्मचारी लाभ से संबंधित है, जिसे 28 सितम्बर, 2020 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हालाँकि, जिस दिनांक को संहिता के प्रावधान लागू होंगे, उसे अधिसूचित नहीं किया गया है। संहिता और संबंधित योजनाओं/नियमों के प्रभावी होने पर कम्पनी इसके प्रभाव का आंकलन करेगी। कम्पनी प्रभाव का आकलन तब करेगी जब संहिता और संबंधित योजना/नियम प्रभावी होंगे। आज तक प्रभावी दिनांक को अधिसूचित लंबित होने के कारण, इन वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रभाव लेखांकित नहीं किया गया है।

39. गत वर्ष के आंकड़े

वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप होने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वास्ते प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एलएलपी
फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016

ह./–
संदीप चड्ढा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 096137

ह./–
गीता देवी गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–07573959

ह./–
नारायण लाल गुर्जर
निदेशक
डी.आई.एन.–08075740

ह./–
रतन कुमार सिंह
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
डी.आई.एन.–00142430

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
एम.न. F5302

ह./–
कपिल पचौरी
उप महाप्रबन्धक (वित्त)

स्थान : गुरूग्राम
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

स्थान : जयपुर
दिनांक : 14 जुलाई, 2023

PAAYAS
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

सूचना–पत्र

सूचित किया जाता है कि पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की 12वीं वार्षिक आम सभा सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को प्रात: 09.00 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर–302027 पर निम्न कार्यो के लिये होगी:–

1. **31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:–**

    ''दिनांक 31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

2. **कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–**

    ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 3769204 समता अंशो पर रू. 2,63,84,428/– वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

3. **श्री लादू लाल (डी.आई.एन.–08856442), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–**

    ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री लादू लाल (डी.आई.एन.–08856442), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुए स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते हैं, को एतदद्वारा कम्पनी में निदेशक के रूप में पुन: नियुक्त किया जाता है, जो चक्रिय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

4. **श्री सेडमल शर्मा (डी.आई.एन.–07255050), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–**

    ''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्री सेडमल शर्मा (डी.आई.एन.–07255050), निदेशक

जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री मुकेश कुमार गढ़वाल (डी.आई.एन.–10239469), जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

5. श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.–07573959), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.–07573959), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुनः नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्रीमती अनीता चौधरी (डी.आई.एन.–10239475), जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की पुनःनियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA (4)(e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016) को पारिश्रमिक रू. 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में पुनःनियुक्त किया जाता है।''

7. 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

''1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

ह./–

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10 अगस्त, 2023

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

टिप्पणी: –

1. **कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा निर्णय देने का अधिकार रखता है को अधिकार है कि वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने तथा हाथ दिखा कर अथवा पोल पर अपना निर्णय देने के लिए प्रतिनिधि (Proxy) नियुक्त कर सकता है तथा इस प्रतिनिधि के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक है। गैर सदस्य को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिये प्रॉक्सी फॉर्म (Proxy Form) सही तरीके से भरकर, स्टाम्प लगाकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तावित आम सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है। प्रॉक्सी फॉर्म का खाली प्रारूप संलग्न है।**

2. प्रत्येक सदस्य को, उसके द्वारा ली गई अंश पूंजी और संरक्षता को ध्यान में न रखते हुए, एक वोट डालने का अधिकार होगा (हाथ दिखाकर अथवा पोल पर) लेकिन उसने अपनी सदस्यता की आधारभूत शर्तो को पूरा कर लिया हो अर्थात् उसने गत वित्तीय वर्ष 2022–2023 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति की हो।

3. कम्पनी के सदस्यों को व्यवसाय में भागेदारी (संरक्षता के आधार) पर विभिन्न श्रेणियों (श्रेणी ए, बी एवं सी) में वगीकृत करने का मापदंड सातवीं वार्षिक आम सभा में अनुमोदित किया गया था।

4. **सदस्यों का श्रेणी वर्गीकरण और वोट देने का अधिकार: –**

   दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2022–23), को कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 95317 सदस्य दर्शाये गये है, जिनका श्रेणी वर्गीकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 की संरक्षता के आधार पर और वोट देने के अधिकार की स्थिति निम्न प्रकार है:–

(a) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान संरक्षता मापदण्डों का सदस्यों द्वारा पूर्ण करने अथवा पूर्ण न करने के विश्लेषण के आधार पर, ''श्रेणी ए'' के 3192 सदस्य, ''श्रेणी बी'' के 6189 सदस्य और ''श्रेणी सी'' के 18052 सदस्य (कुल 27433 सदस्य) जिन्होने कम्पनी की वोट करने की आधारभूत शर्तो के साथ साथ संरक्षता मापदण्ड के सभी श्रेणी की शर्तो को पूरा किया है इसलिए वे आम सभा के सूचना पत्र के प्रस्ताव संख्या 1 से 7 इसमें उसी श्रेणी के निदेशकों का चयन शामिल है, पर वोट करने के अधिकारी होगें।

    (**नोट**–कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.5 के अनुसार, एक सदस्य अपनी श्रेणी (''श्रेणी ए'' अथवा ''श्रेणी बी'' अथवा ''श्रेणी सी'') के निदेशक की नियुक्ति पर वोट डाल सकता है, अन्य श्रेणी के निदेशक की नियुक्ति पर वोट नहीं डाल सकता है)।

(b) 7424 सदस्य जिन्होनें कम्पनी की आधारभूत शर्तो को पूरा किया है (अर्थात् जिन्होनें गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 200 दिनों में कम्पनी को 500 लीटर दूध की आपूर्ति की है), लेकिन उन्होनें अपनी श्रेणी की एक या अधिक संरक्षता की अन्य शर्तो को वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूरा नहीं किया है, तथा जिन्होनें कम्पनी की तीनों श्रेणियों के वर्गीकरण की शर्तो को भी पूरा नहीं किया है, और उसके परिणामस्वरूप वे श्रेणी पर आधारित निदेशकों के चयन (सूचना पत्र की मद संख्या 3, 4 एवं 5) पर वोट नहीं कर सकते है परन्तु वह सूचना पत्र की मद संख्या 1, 2, 6 और 7 के प्रस्ताव पर वोट कर सकते है।

(c) कुल 59457 सदस्यों द्वारा गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कम्पनी को कम से कम 200 दिनों में 500 लीटर दूध की आपूर्ति नहीं की इसलिए, उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकारी नही है। हांलाकि, वे वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र है।

(d) कुल 1003 सदस्यों की सदस्यता दिनांक 31 मार्च, 2023 के पश्चात निरस्त कर दी गई, इसलिए वे सदस्य कम्पनी की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के पात्र नही है। परन्तु, वे वित्तीय वर्ष 2022–2023 के सीमित लाभांश (डिविडेंड), यदि वार्षिक आम सभा में पारित होता है, के पात्र होगें।

(e) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के पश्चात् एवं सूचना पत्र की तारीख तक कुल 1849 नये सदस्य सम्मिलित किये गये है और उनमें से 2 सदस्यों ने अपनी सदस्यता समर्पण कर दी है, जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के लाभांश के पात्र नही होगें एवं उनको आगामी वार्षिक आम सभा में वोट करने का अधिकार भी नही है।

(f) उपरोक्त सदस्यों की सूची उनके दुग्ध संकलन केन्द्र के अनुसार 12वीं वार्षिक आम सभा के स्थान पर भी उपलब्ध होगी।

(g) आम सभा में कम्पनी ऐसी व्यवस्था एवं प्रणाली का प्रयोग करेगी, जिससें सदस्य अपने श्रेणी के अनुसार सुविधाजनक वोट कर सके, जिससे सदस्यों को सभा के दौरान अवगत करा दिया जायेगा।

5. इस सूचना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है:–

   (i) निदेशक के पद हेतु चयन के लिए प्रत्येक प्रत्याशियों के नाम तथा उनकी योग्यताओं सहित।

   (ii) दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई 11वीं वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का विवरण।

   (iii) 31 मार्च, 2023 को अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लाभ–हानि खाते के साथ उस पर निदेशकों का रिपोर्ट तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट।

   (iv) वित्तीय वर्ष 2023–2024 का बजट ।

6. इस सूचना पत्र से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को कार्यदिवसों में प्रातः 11:00 से सांयः 4:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर देखा जा सकता है।

7. सीमित लाभांश (डिविडेंड), जैसा कि बोर्ड ने अनुशंसा की है, अगर आम सभा में घोषित होता है तो उन अंशधारकों को भुगतान किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2023 को कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

8. सदस्यों से निवेदन है कि आम सभा में भाग लेने के लिये भेजी गई 11वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं उपस्थिति पर्ची अपने साथ लायें।

9. सदस्य जिसे कम्पनी लेखों अथवा संचालन संबंधी जानकारी की आवश्यकता हो या कोई प्रश्न हो तो वे कम्पनी सचिव को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में 12वीं वार्षिक आम सभा की दिनांक से 7 दिवस के पहले लिखित रूप से सूचित करे।

10. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पत्राचार में अपना फोलियों संख्या एवं अपना सदस्यता कोड संख्या अवश्य लिखें।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पते के परिवर्तन को पिन कोड एवं मोबाइल नं. सहित कम्पनी को सूचित करें।

12. सदस्य जिन्होंने अपना नामिती फार्म कम्पनी को जमा नहीं करवाया है वे नामिती फार्म भरकर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें। नामिती फार्म कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

13. सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124 और 125 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार अदावाकृत या असंदत्त लाभांश की राशि को अनपेड डिविडेंड खातें में हस्तान्तरण की तारीख से 7 वर्षो की अवधि के लिए दावा/नकदीकरण नही करते है तो वह राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि (Investor Education & Protection Fund) में अंतरित करना आवश्यक है। सदस्य कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर अदावाकृत या असंदत्त राशि को देख सकते है। सदस्यों से निवेदन है कि वे अदावाकृत या असंदत्त की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि में हस्तान्तरित करने से पूर्व कम्पनी से दावा कर सकते है।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि कम्पनी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस, परिपत्र आदि सहित सभी प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराएं।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि उनकी पहचान के लिए अपना पहचान पत्र वार्षिक आम सभा के स्थान पर लायें।

16. बैठक की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.paayasmilk.com पर उपलब्ध है।

आगामी आम सभा में नियुक्त / पुन:नियुक्ति होने वाले निदेशकों का विवरण (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA(4) (c) और आम सभा पर सचिवीय मानकों के अनुसार)।

कार्यसूची सं. 3, 4 और 5

बोर्ड ने नामांकन समिति की अनुशंसा पर श्री लादू लाल (डी.आई.एन.–08856442, जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है), श्री मुकेश कुमार गढ़वाल (डी.आई.एन.–10239469, जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते है) और श्रीमती अनीता चौधरी (डी.आई.एन.–10239475, जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करती है) को कम्पनी के निदेशक नियुक्त करने की अनुशंसा करता है, उनका विवरण नीचे दिया गया है:–

	श्री लादू लाल	**श्री मुकेश कुमार गढ़वाल**	**श्रीमती अनीता चौधरी**
उम्र :	45	32	31
शैक्षिक योग्यता :	12वीं उत्तीर्ण	कला में स्नाकोत्तर (एम.ए.), बी.एड	कला में स्नातक (बी.ए.)
व्यवसाय :	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन	कृषि और पशुपालन
अनुभव :	कृषि और पशुपालन में 25 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 12 वर्ष का अनुभव	कृषि और पशुपालन में 11 वर्ष का अनुभव
नियुक्ति के नियम व शर्तें :	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी	गैर–कार्यकारी निदेशक, चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होने के लिए उत्तरदायी
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक :	शून्य	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति :	4 दिसम्बर 2020	12वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	12वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव
वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों में भाग लिया की संख्या :	6	–	–
धारित अंशों की संख्या :	65	26	29
अन्य निदेशकों और केएमपी के साथ संबंध :	संबंधित नही	संबंधित नही	संबंधित नही
बोर्ड की समिति की सदस्यता/अध्यक्षता :	शून्य	शून्य	शून्य

बोर्ड के आदेशानुसार
वास्ते पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
ह./–

स्थान : जयपुर
दिनांक : 10 अगस्त, 2023

अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या: F5302

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

स्थान: हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर–302027 राजस्थान में सदस्यों की 11वीं वार्षिक आम सभा, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 को प्रात: 10.30 बजे को आयोजित हुई जिसकी कार्यवाही विवरण का विवरण निम्न है:–

बैठक में उपस्थित सदस्य :–

1.	श्रीमती ममता चौधरी	–	अध्यक्षा, अध्यक्षा (हितधारक संबंधित समिति) एवं अंशधारक
2.	श्री सेडमल शर्मा	–	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्री जय सिंह राठौड़	–	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती गीता देवी गुर्जर	–	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्री नारायण लाल गुर्जर	–	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री सुशील कुमार वैष्णव	–	निदेशक एवं अंशधारक
7.	श्रीमती ममता चौधरी	–	निदेशक एवं अंशधारक
8.	श्री लादू लाल	–	निदेशक एवं अंशधारक
9.	श्रीमती सुनिता शर्मा	–	निदेशक एवं अंशधारक
10.	श्री विजय सिंह मीणा	–	निदेशक एवं अंशधारक
11.	श्री भागचन्द	–	निदेशक एवं अंशधारक
12.	श्री रतन कुमार सिंह	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
13.	श्री अनूप गुप्ता	–	कम्पनी सचिव

(a) श्रीमती ममता चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कम्पनी सचिव से बैठक प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने के लिए निवेदन किया।

(b) तत्पश्चात, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सूचित किया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 21,142 अंश वाले 207 सदस्य व्यक्तिगत रूप से तथा 20,88,991 अंश वाले 38840 सदस्य प्रॉक्सी के माध्यम से उपस्थित थे।

(c) अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी सचिव से पुष्टि के पश्चात कोरम पूरा होने की घोषणा की। कम्पनी सचिव ने निर्दिष्ट किया कि प्रतिनिधि का रजिस्टर, सदस्यों का रजिस्टर, निदेशकों का रजिस्टर और मुख्य प्रबंधक अधिकारी और उनकी अंशधारिता, वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर जांच के लिए उपलब्ध थे। उन्होंने यह भी बताया कि कम्पनी की लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी/योग्यता नहीं थी और इसलिए लेखा अंकेक्षकों की रिपोर्ट को भी पढ़ा हुआ मान लिया गया है।

(d) अध्यक्षा महोदय ने उपस्थित सदस्यों को सूचित किया कि श्री सौगत मित्रा, श्री श्रीराम सिंह और प्रो. माधवी मेहता, विशेषज्ञ निदेशक बैठक में उपस्थित नही हो सके। अध्यक्षा ने सदस्यों को यह भी बताया कि लेखा अंकेक्षकों ने बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की थी और कम्पनी से अनुपस्थिति की अनुमति की इच्छा व्यक्त की। इसके बाद आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(e) अध्यक्षा महोदय ने 11वीं वार्षिक आम सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं निदेशकों का स्वागत किया। तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने कम्पनी के मूल्य, ध्येय और दीर्घदृष्टि को पढ़कर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की।

(f) उपस्थिति सदस्यों की सर्व सम्मति से 11वीं वार्षिक आम सभा बुलाने का नोटिस जो कि पहले से ही वितरित किया जा चुका है, जिसे पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(g) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में कम्पनी के संचालन एवं गतिविधियों संबंधी जानकारी दी।

(h) तत्पश्चात, अध्यक्षा महोदय की सलाह पर, श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने सभा की कार्यसूची प्रारंभ की।

1. 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना:–

1.1 श्री अनूप गुप्ता, कम्पनी सचिव ने लेखों पर अंकेक्षकों रिपोर्ट को पढ़ा। तत्पश्चात, सदस्यों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों पर विचार–विमर्श किया।

1.2 श्री भागचन्द यादव (फोलियो संख्या: 24222) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 1/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''दिनांक 31 मार्च, 2022 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिये लाभ–हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण, उसकी अनुसुचियों और नोट्स जोकि इसका भाग हैं के साथ, उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट को अनुमोदित करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री महेन्द्र सिंह नरूका (फोलियो संख्या: 112100) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

2. कम्पनी की समता अंश पूंजी पर सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

2.1 श्री राजाराम गुर्जर (फोलियो संख्या: 162816) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 2/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7/– प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/– वाले पूर्ण प्रदत्त 3579944 समता अंशो पर रू. 2,50,59,608/– वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2022 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।''

श्री राम लाल (फोलियो संख्या: 14174) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन..07253296), जो बोर्ड में ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

3.1 श्रीमती कानी देवी (फोलियो संख्या: 59491) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 3/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्रीमती ममता चौधरी (डी.आई.एन.–07253296), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगी तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्रीमती चन्दा यादव (डी.आई.एन.–09684561), जो ''श्रेणी ए'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्रीमती अंजू देवी (फोलियो संख्या: 2452) जो श्रेणी ए का प्रतिनिधित्व करती है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी ए के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्री सुशील कुमार वैष्णव (डी.आई.एन.–08527267), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

4.1 श्री रतना राम (फोलियो संख्या: 172805) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 4/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्री सुशील कुमार वैष्णव (डी.आई.एन.–08527267), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री जगदीश प्रसाद इनाणीया (डी.आई.एन.–09684777), जो ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्री किशन गुर्जर (फोलियो संख्या: 108530) जो श्रेणी बी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी बी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्री जय सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.–07253278), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना और इस

संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

5.1 श्री मुकेश चौधरी (फोलियो संख्या: 117961) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते है, ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 5/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 और अन्य सम्बन्धित अनुच्छेद एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं लागू होने वाले प्रावधानों (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के अनुसार, श्री जय सिंह राठौड़ (डी.आई.एन.–07253278), निदेशक जो इस आम सभा के समापन पर चक्रीय क्रम से सेवानिवृत होंगे तथा पुन: नियुक्ति के लिए योग्य नही है, के स्थान पर श्री हनुमान चौधरी (डी.आई.एन.–09684895), जो ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, को कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो चक्रीय क्रम से सेवानिवृति के लिए उत्तरदायी है।''

श्री सांवरा (फोलियो संख्या: 178540) जो श्रेणी सी का प्रतिनिधित्व करते है, ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको श्रेणी सी के सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

6. कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

6.1 श्रीमती सुनिता देवी (फोलियो संख्या: 120900) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 6/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 142, 378ZA (4) (e) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, को कम्पनी (अंकेक्षकों और ऑडिट) नियम, 2014 (किसी भी प्रकार के वैधानिक संशोधनों या समय–समय पर लागू होने वाले प्रावधानों सहित पुर्न–अध्यादेश) के साथ पढे जाने के अनुसार, मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी., नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्या–012754N/N500016) को पारिश्रमिक रूपये 24,50,000 (अक्षरे चौबीस लाख पचास हजार रूपये) एवं लागू होने वाले कर तथा वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति के साथ इस आम सभा की समाप्ति से लेकर आगामी आम सभा की समाप्ति तक के लिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

श्रीमती सरिता देवी (फोलियो संख्या: 168586) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

7. 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करना :–

7.1 श्रीमती सुशीला देवी (फोलियो संख्या: 69835) ने निम्नलिखित को सामान्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

प्रस्ताव संख्या 7/2022–2023–11वीं वार्षिक आम सभा/19.09.2022

''1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट, जैसाकि वार्षिक आम सभा के समक्ष रखा

गया है, को एतद्द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।''

श्री भगवान सहाय (फोलियो संख्या: 93150) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

8. कम्पनी के अंतर्नियमों में संशोधन पर विचार कर अनुमोदन करना और अगर सही माना जाये तो संशोधन सहित अथवा रहित इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:–

8.1 श्रीमती पूजा कंवर (फोलियो संख्या: 179173) ने निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तावित किया:–

''प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग XXIA से सम्बन्धित प्रावधानों के आधार पर विशेष रूप से धारा 378-I, 378ZQ, 378ZR और कम्पनी अधिनियम 2013 के लागू होने वाले अन्य प्रावधान, यदि कोई हो और कम्पनी के बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी अंतर्नियमों के वर्तमान अनुच्छेदों में जहाँ तक संभव हो सके में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता है–

1. वर्तमान अनुच्छेद 4.3 iii को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये:

''iii कोई भी सदस्य, जो सदस्य के रूप में बने रहने के योग्य नही है उसे सदस्य के रूप में हटाने के लिए और सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु कम्पनी द्वारा लिखित नोटिस दिया जाएगा। हालांकि, सदस्यों को नोटिस भेजने के उद्देश्य से, बोर्ड किसी विशेष वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के लिए एक या उससे अधिक पात्रता मापदंड़ों में छूट प्रदान कर सकता है। सदस्य को नोटिस में निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर जवाब देना होगा। ऐसे नोटिस निम्न माध्यम से भेजे जायेंगे:

(a) सदस्य को उसके पिछले ज्ञात पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा और भेजने के पांच दिन बाद उसे प्राप्त हुआ माना जाएगा या

(b) सदस्यों को कम्पनी के साथ रजिस्टर्ड उसकी ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा और सदस्य को ईमेल भेजने के दिन ही प्राप्त हुआ माना जायेगा।

तत्पश्चात्, बोर्ड इस संबंध में अपना निर्णय लेगा।

2. वर्तमान अनुच्छेद 9.13 को रूपांतरित कर निम्नानुसार पढा ज़ाये:

9.13 (i) मीटिंग के लिए आवश्यक कोरम डायरेक्टरों की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, जिस में एक निर्वाचित डायरेक्टर और एक विशेषज्ञ डायरेक्टर की उपस्थिति सहित कम से कम तीन की मौजूदगी आवश्यक होगी। तथापि, यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स में कोई विशेषज्ञ डायरेक्टर न हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरर्स की मीटिंग में कोरम के लिए विशेषज्ञ डायरेक्टर की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी।

9.13(ii) यदि कोरम के अभाव में, बोर्ड की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है तो बैठक को कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित दिनांक, समय और स्थान के लिए स्थगित कर दिया जायेगा। हालांकि, अध्यक्ष स्थगित बैठक मूल बैठक की तारीख से सात दिनों की अवधि के अंदर बुलाई जायेगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया जाता है कम्पनी के मुख्य कार्यकारी या कम्पनी सचिव को रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास आवश्यक फॉर्म जमा करवाने तथा ऐसे सभी कार्यो, डीड, मामलों एवं वस्तुओं और इस प्रस्ताव को निष्पादन करने के लिये जहां भी आवश्यक हो ऐसे सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित व क्रियान्वित करने के लिए एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।''

श्री किशन लाल (फोलियो संख्या: 151752) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदय ने प्रस्ताव को वोट के लिये रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ दिखाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

9. **अन्य कोई बिन्दु नहीं है, अध्यक्षा ने आम सभा का समापन किया और उपस्थित सभी अंशधारकों को ध्यानपूर्वक सुनने, सहयोग, बहुमूल्य समर्थन और समय देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित दिया। आम सभा प्रात: 11.10 बजे सम्पन्न हुई।**

ह./-

दिनांक : 29 सितम्बर, 2022 अध्यक्षा

स्थान: जयपुर

दिनांक : 29 सितम्बर, 2022 को कार्यवाही पुस्तिका में प्रविष्टि की गई।

ह./-

कम्पनी सचिव द्वारा आद्याक्षर

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2023–2024 का बजट

(अ) आयगत बजट

विवरण		
(अ) आय		
दुग्ध की मात्रा	किलोग्राम प्रतिदिन	695,368
व्यापार (दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद)	रूपये लाखों में	151,422
पशु आहार एवं एआई से योगदान	रूपये लाखों में	350
अन्य आय	रूपये लाखों में	774
(ब) व्यय		
माल की लागत (परिवर्तन सहित)	रूपये लाखों में	134,853
स्थिर एवं अन्य परिवर्तनशील लागत	रूपये लाखों में	17,684
कुल व्यय	रूपये लाखों में	152,537
कर से पूर्व लाभ (अ–ब)	**रूपये लाखों में**	**10**
	% विक्रय पर :	**0.01%**

पूंजीगत बजट 2023–2024

विवरण		
प्लांट एवं मशीनरी	रूपये लाखों में	536
ऑफिस उपकरण	रूपये लाखों में	20
आई.टी. उपकरण	रूपये लाखों में	300
लैब उपकरण	रूपये लाखों में	55
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	रूपये लाखों में	25
कुल	**रूपये लाखों में**	**936**

PAAYAS
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

उपस्थिति पर्ची (Attendance Slip)

फोलियो संख्या : | | | | | | |

सदस्य कोड : | | | | | | | | | | | | | | | | |

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को प्रात: 9.00 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 पर होने वाली 12वीं वार्षिक आम सभा में, मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ।

अंश धारक का नाम :-	
प्रॉक्सी (Proxy) का नाम:- (अगर प्रॉक्सी बैठक में भाग ले रहा है तो)	

अंशधारक/ प्रॉक्सी के हस्ताक्षर*
*जो लागू नही होता है, उसे काट दें।

PAAYAS®
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय: डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91-141-2352736, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

फार्म संख्या एम.जी.टी.-11

प्रतिनिधि प्रारूप (Proxy Form)

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (यों) का नाम : ....

पंजीकृत पता : ....

ईमेल आईडी : ....

फोलियो संख्या : | | | | | | |

मैं/हम .... पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के अंशों का सदस्य होते हुये एतद्द्वारा

(1) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(2) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः .... या उनकी अनुपस्थिति में

(3) श्री/श्रीमती .... फोलियो संख्या : | | | | | | |
पता ....
ईमेल आईडी :..

हस्ताक्षरः ....

को कम्पनी की सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को प्रात: 09.00 बजे हेइवा हेवन रिसोर्ट, जामडोली चौराहा से जयसिंहपुरा खोर रोड़, आगरा रोड़, जयपुर-302027 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली 12वीं वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रॉक्सी के रूप में भाग लेने और आगे वर्णित प्रस्तावों के संबंध में वोट डालने (मतदान) के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करता/करती हूँ:

क्र.सं.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2023 का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा तथा उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।			
2	कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 7 प्रति समता अंश की दर से सीमित लाभांश (डिविडेंड) पर विचार एवं घोषणा करना।			
3	श्री लादू लाल (डी.आई.एन.-08856442), जो बोर्ड में ''श्रेणी बी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर नियुक्त करना जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होकर, योग्यताएँ पूरी करते हुये स्वयं को पुन: नियुक्ति के लिए प्रस्तावित करते है।			
4	श्री सेडमल शर्मा (डी.आई.एन.-07255050), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रहे है, के स्थान पर श्री मुकेश कुमार गढ़वाल (डी.आई.एन.-10239469) निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
5	श्रीमती गीता देवी गुर्जर (डी.आई.एन.-07573959), जो बोर्ड में ''श्रेणी सी'' के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत हो रही है, के स्थान पर श्रीमती अनिता चौधरी (डी.आई.एन.-10239475) निदेशक की नियुक्ति पर विचार कर सामान्य प्रस्ताव पारित करना।			
6	कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षकों मैसर्स प्राइस वॉटरहाऊस चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एल.एल.पी. की पुनःनियुक्ति पर विचार कर अनुमोदन करना एवं उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना।			
7	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी के बजट पर विचार कर अनुमोदन करना।			

दिनांक .... 2023 को हस्ताक्षरित किये गये।

₹ 1/-
रेवेन्यू टिकिट

(अंशधारक (कों) के हस्ताक्षर)　　　　(प्रॉक्सीधारक (कों) के हस्ताक्षर)

नोट: यह प्रॉक्सी फॉर्म प्रभावी होने के लिए वर्णित बैठक के प्रारम्भ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में विधिवत रूप से भरकर जमा किया जाना चाहिए।

12वीं वार्षिक आमसभा स्थल के मार्ग का नक्शा

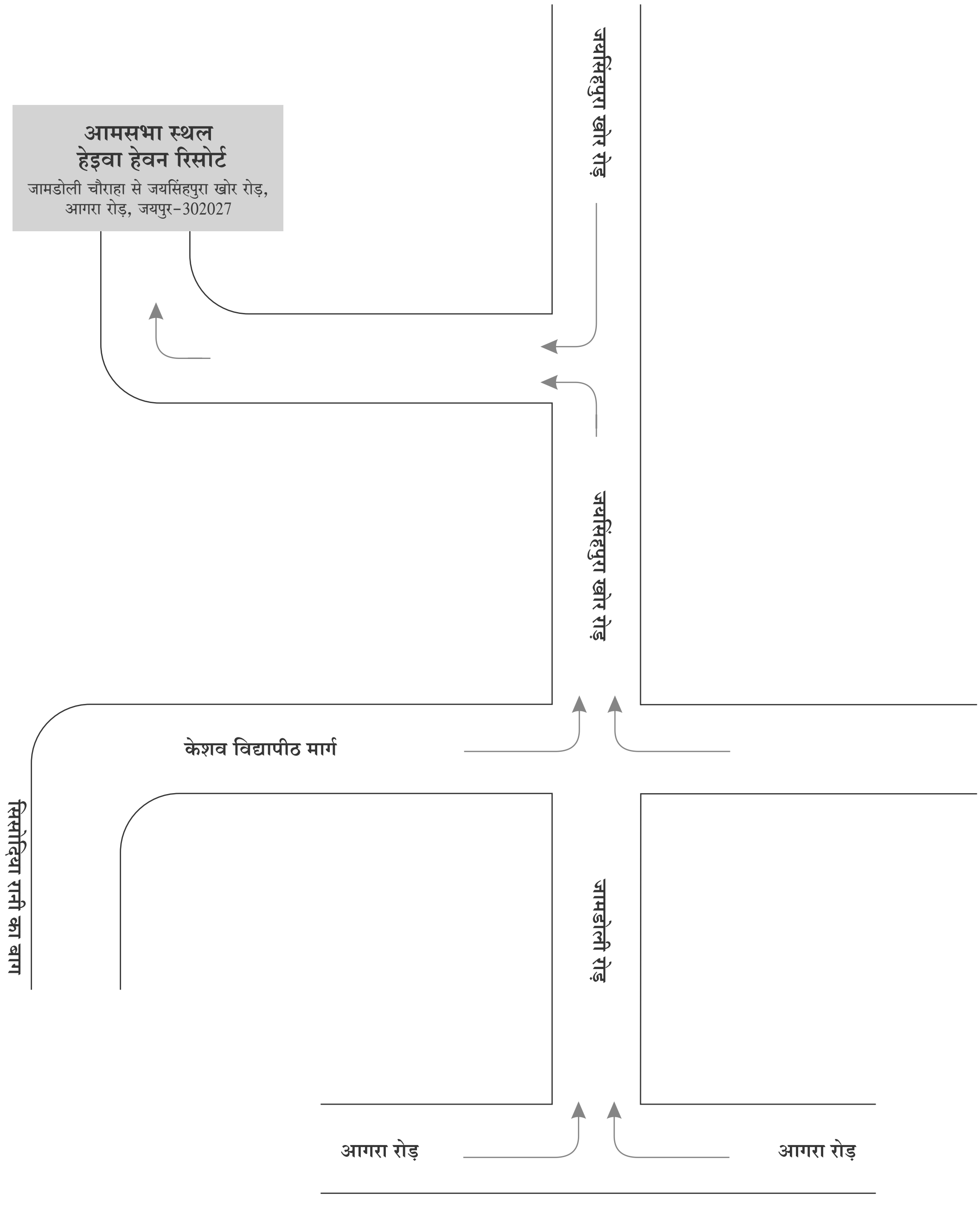

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय: डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–4202108
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

(Dispatched by Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd., New Delhi)